वार्षिक प्रतिवेदन 2017-2018

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

Bihar State Disaster Management Authority

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना-800 001 फोन : +91(612) 2522032, फैक्स : +91(612) 2532311 Visit us: www.bsdma.org, E-mail : info@bsdma.org, tweet: sdma.bihar

विषय सूची

हमारे मा. मुख्यमंत्री-सह प्राधिकरण के अध्यक्ष 2

उपाध्यक्ष की कलम से.... 3

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 4

01. प्राधिकरण का गठन, लक्ष्य एवं कार्य 4

02. सदस्यों का मनोनयन 5

03. भवन 5

04. प्राधिकरण के "LOGO" का विकास 5

05. प्राधिकरण का प्रशासनिक ढांचा 6

06. प्राधिकरण के लिए स्वीकृत पद 7

07. आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्राधिकरण की भूमिका 8

08. प्राधिकरण द्वारा सचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रम-एक **झलक** 9

09. प्राधिकरण के प्रभाग 10

(i) प्राकृतिक आपदा

(ii) पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

(iii) मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

(iv) मानव जनित आपदा

(v) मीडिया एवं आईटी

- बिहार राज्य भूकंप दूरमापी यंत्र की स्थापना 14
- प्राधिकरण की 10वीं बैठक, दिनांक-06-09-2017 15
- प्राधिकरण की 11वीं बैठक दिनांक 16.11.2017 22
- प्राधिकरण की प्रमुख गतिविधियां कैलेंडर वर्ष- 2017
- प्राधिकरण की प्रमुख गतिविधियां कैलेंडर वर्ष- 2018
- प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का विवरण
- ऑडिट रिपोर्ट 2017-2018

हमारे माननीय मुख्यमंत्री-सह-प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार

"राज्य के खजाने पर आपदा प्रभावितों का पहला हक है" ऐसा व्यापक एवं समर्पित दृष्टिकोण रखने वाले और आपदा प्रबंधन के प्रति पूर्ण समर्पित बिहार के माननीय मुख्यमंत्री-सह-अध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री नीतीश कुमार के कुशल मार्गदर्शन में राज्य "आपदा सुरक्षित-बिहार" की दिशा में सतत अग्रसर है।

बिहार के आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (२०१५-२०३०) ने राज्य में आपदा प्रबंधन को एक नई दिशा प्रदान की है और इस दूरदर्शी सोच के पीछे माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का ही दृष्टिकोण है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के दिशा निर्देश के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण के सिद्धातों को व्यावहारिक रूप प्रदान करते हुए उसे आम जन मानस से जोड़ने का प्रयास निरन्तर किया जा रहा है।

भूकंप और बाढ़ जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रमों के साथ-साथ अगलगी, सडक दुर्घटना, डूबने की घटनाओं, सुरक्षित नौका परिचालन एवं मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरिक्षत शनिवार) पर केन्द्रित व्यापक कार्यक्रम एवं अभियान बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे हैं।

आपदा प्रबंधन एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसमें सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं सहित समुदाय की भी एक निश्चित भूमिका होती है। इसी अवधारणा के अनुसरण में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015-2030) के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण सभी भागीदारों के साथ एक समन्वित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की संस्कृति विकसित करने की दिशा में अग्रसर है। राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा रोडमैप के अनुसार जोखिम न्यूनीकरण हेतु निर्धारित कार्ययोजनाओं को निष्पादित किया जा रहा है और साथ ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विभागों के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के साथ मुख्यधारा में समा. हित करने का कार्य किया जा रहा है।

माननीय मुख्मंत्री के कुशल नेतृत्व में आज बिहार की गणना आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में होती है। परिणाम स्वरूप आज अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी बिहार से आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप एवं प्राधिकरण की योजनाओं और नीतियों को समझने के लिए प्रायः आते रहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना की जाती है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने माननीय अध्यक्ष के इस विश्वास को कायम रखते हुए निरन्तर "आपदा सुरक्षित बिहार" की अवधारणा को साकार करने की ओर अग्रसर है।

उपाध्यक्ष की कलम से...

श्री व्यास जी
उपाध्यक्ष
बिहार राज्य आपदा
प्रबंधन प्राधिकरण

आकाश, जल और वायु की तरह ही आपदाएं भी समय और सीमा में नहीं बांधी जा सकती है। यह भी रोचक है कि कई बड़ी आपदाओं के घटित होने में इन्हीं तीन अवयवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय और सीमा से परे घटित होने वाली आपदाओं के प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी समग्र और व्यापक रूप से तैयारी की आवश्यकता होती है। साथ ही आज आवश्यकता है सतत् विकास (Sustainable Development) की और उसे भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदाओं के खतरों से बचाकर रखने की क्योंकि आपदाओं से एक लम्बे समय के अर्जित विकास की हानि होती है जिसकी भरपाई दशकों तक नहीं हो पाती है। अतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदाओं के प्रबंधन के साथ ही आज इनको विकास की मुख्यधारा में समाहित करने की आवश्यकता है।

जहाँ एक ओर बिहार को सभी प्रकार की आपदाओं का Super Market कहा जाता है वहीं एक प्रगतिशील सोच और दूरदर्शिता रखने वाले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री-सह-अध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कुशल नेतृत्व में राज्य ने आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में नये प्रतिमान स्थापित करते हुए देश और विश्व को राह दिखाने का भी कार्य किया है।

बिहार की भू-पारिस्थितिक एवं समाजार्थिक स्थितियाँ किसी प्रकार की आपदाओं के प्रति प्रवण बनाती हैं। साथ ही अनेक मानव जनित आपदाओं और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना भी राज्य को करना पड़ता है। इन सभी चुनौतियों का सामना सभी भागीदारों के साथ और एक सुनियोजित प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन के इस आयाम को समझते हुए ही राज्य ने देश ही नहीं अपितु विश्व के एक बड़े भाग में अग्रणी रहते हुए पहली बार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (२०१५-२०३०) का निर्माण किया जिसके अंतर्गत समय बद्ध रूप में सभी भागीदारों के साथ मिलकर आपदा की चुनौतियों का सामना करने का संकल्प लिया गया। निर्धारित कार्य योजना के अनुसार राज्य इस रोडमैप के क्रियान्वयन की ओर सतत् अग्रसर है।

अपने स्थापना के समय से ही बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य को आपदा सुरक्षित बनाने की ओर सतत् अग्रसर है। योजना निर्माण, नीति निर्धारण, जागरूकता एवं क्षमता वर्धन सहित आपदाओं के प्रबंधन के सभी आयामों पर प्राधिकरण यथा संभव प्रयास एवं कार्य कर रहा है। सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित समुदाय, सुरक्षित बिहार की अवधारणा को मूलरूप देने के लिए प्राधिकरण सतत् प्रयत्नशील एवं संकल्पित है। वार्षिक प्रतिवेदन (२०१७-२०१८) के माध्यम से संदर्भित वर्ष के दौरान प्राधिकरण के क्रियाकलापों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है हमारे इस प्रयास में आप सभी का सुझाव एवं सहयोग अपेक्षित है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

01. प्राधिकरण का गठन, लक्ष्य एवं कार्य

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (53 की धारा 14 के अंतर्गत) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3449/आ०प्र० दिनांकः-06-11-2007 के तहत हुआ है।
- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव पदेन सदस्य एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं।
- प्राधिकरण में एक उपाध्यक्ष समेत कुल 9 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। आलोच्य अवधि में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्री व्यास जी, भा.प्र.से. (से.नि.) एवं सदस्य प्रो० ए०एस आर्य, (दिनांक 22-07-2017 तक) डॉ० उदयकांत मिश्र तथा श्री पी० एन० राय (दिनांक 05-02-2018) से नियुक्त एवं कार्यरत रहे।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उपरोक्त 2005 के अधिनियम के उपबंधों के आलोक में राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां एवं योजनाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह राज्य में आपदा प्रबंधन की नीतियों एवं योजनाओं का सूत्रण के साथ-साथ निम्न विशिष्ट कार्यों को सम्पादित करें

(क) राज्य आपदा प्रबंधन नीति निर्धारण करना।

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन का समन्वयन करना।

(ग) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन करना।

(घ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं में आपदाओं की रोकथाम एवं शमन के उपायों को समाहित कराने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना एवं आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

(ङ.) आपदा शमन (Mitigation) और तैयारी उपायों के लिए निधियों की व्यवस्था करने की अनुशंसा राज्य सरकार को करना।

(च) राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा कर सुनिश्चित करना कि आपदाओं की रोकथाम एवं न्यूनीकरण के उपाय इन योजनाओं में शामिल किये गए हैं।

(छ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा आपदा शमन (Mitigation) क्षमतावर्द्धन और तैयारी के लिए किये जा रहे उपायों की समीक्षा करना एवं आवश्यकतानुसार मागदर्शक सिद्धांत जारी करना।

उपरोक्त के आलोक में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 19 के अनुसार राज्य के आपदा प्रभावितों के राहत के लिये मानदण्ड तय करना (परंतु यह मानदण्ड किसी भी दशा में "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" द्वारा निर्धारित मानदण्ड से कम नही होना चाहिये)।

"आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005" के अनुसार प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समन्वयन की सुपरिभाषित जवाबदेही सौंपी गयी है। प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये जिला आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन करना प्राधिकरण का दायित्व है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार किसी भी आपदा के उत्पन्न होने की दशा में यदि राज्य प्राधिकरण संतुष्ट है कि बचाव या राहत के लिये किसी सामग्री की तुरंत आवश्यकता है, तो वह संबंधित विभाग अथवा प्राधिकरण को यह निर्देश दे सकता है कि वह आकस्मिकता से निपटने के लिये निविदा आमंत्रित करने की शर्त शिथिल रखते हुए भी सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

प्राधिकरण की दृष्टि (Vision)

आपदाओं से सुरक्षित बिहार का निर्माण।

प्राधिकरण के प्रेरक सिद्धांतः-

विकास ऐसा हो, जो आफत से बचाये।
विकास ऐसा न हो, जो आफत बन जाये।।

02. सदस्यों का मनोनयन :-

माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव पदेन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं। प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे एक सदस्य को उपाध्यक्ष मनोनीत करते है। तदनुसार दिनांक 12 सितम्बर, 2016 से श्री व्यास जी भा० प्र० से० (से० नि०) को उपाध्यक्ष मनोनित किया गया। श्री व्यास जी दिनांक:-12-09-2016 के प्रभाव से प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर पदासीन हैं । आलोच्य अवधि में प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में डॉ० यू० के० मिश्र, (सेवा निवृत्त प्रतिकुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय), दिनांक 15-04-2015 के प्रभाव से, प्रो० ए०एस० आर्य, (सेवा निवृत प्रोफेसर आई०आई०टी० रुड़की) दिनांक 15.04-10 से 22.07.2017 तक एवं श्री पी. एन. राय भा० पु० से० (से० नि०) दिनांक 05-02-2018 के प्रभाव से कार्यरत हैं।

03. भवन :-

सम्प्रति बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यालय पंत भवन, द्वितीय तल पर कार्यरत है, जो कृषि विपणन पर्षद विघटित, बिहार, पटना से किराये पर ली गई है। एकरारनामा के अनुसार किराये की राशि प्रतिमाह ७९६३७/- (उन्नासी हजार छः सौ सौतीस) रू० निर्धारित है।

04. प्राधिकरण के "LOGO" का विकास:-

प्राधिकरण के गठन के बाद अपना "LOGO" का विकास नहीं हो पाया था। वर्ष 2010 में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर श्री अनिल कुमार सिन्हा, भा०प्र०से० (से०नि०) के योगदान करने के पश्चात प्राधिकरण के "LOGO" को बनाने के लिए पटना आर्ट कॉलेज में दिनांक-26-11-2010 को एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

इस प्रतियोगिता में कला एवं शिल्प महाविद्यालय, पटना के छात्रों द्वारा भाग लिया गया। इस महाविद्यालय के छात्र श्री गौतम कुमार द्वारा लोगों का प्रारूप तैयार किया गया, जिसे चयन समिति द्वारा चयनित किया गया। उल्लेखनीय है कि "LOGO" में दर्शाया गया हाथ का चिन्ह गौतम बुद्ध का है तथा इसमें दिखाया गया मकान/घर भूकम्प से प्रभावित है, इसी हाथ के नीचे दिया गया पानी बाढ़ का सूचक है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार राज्य बाढ़ एवं भूकम्प के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है।

05. प्राधिकरण का प्रशासनिक ढांचा:-

प्राधिकरण का प्रशासनिक ढांचा अगले पृष्ट पर दृष्टव्य है।

प्राधिकरण का प्रशासनिक ढांचा

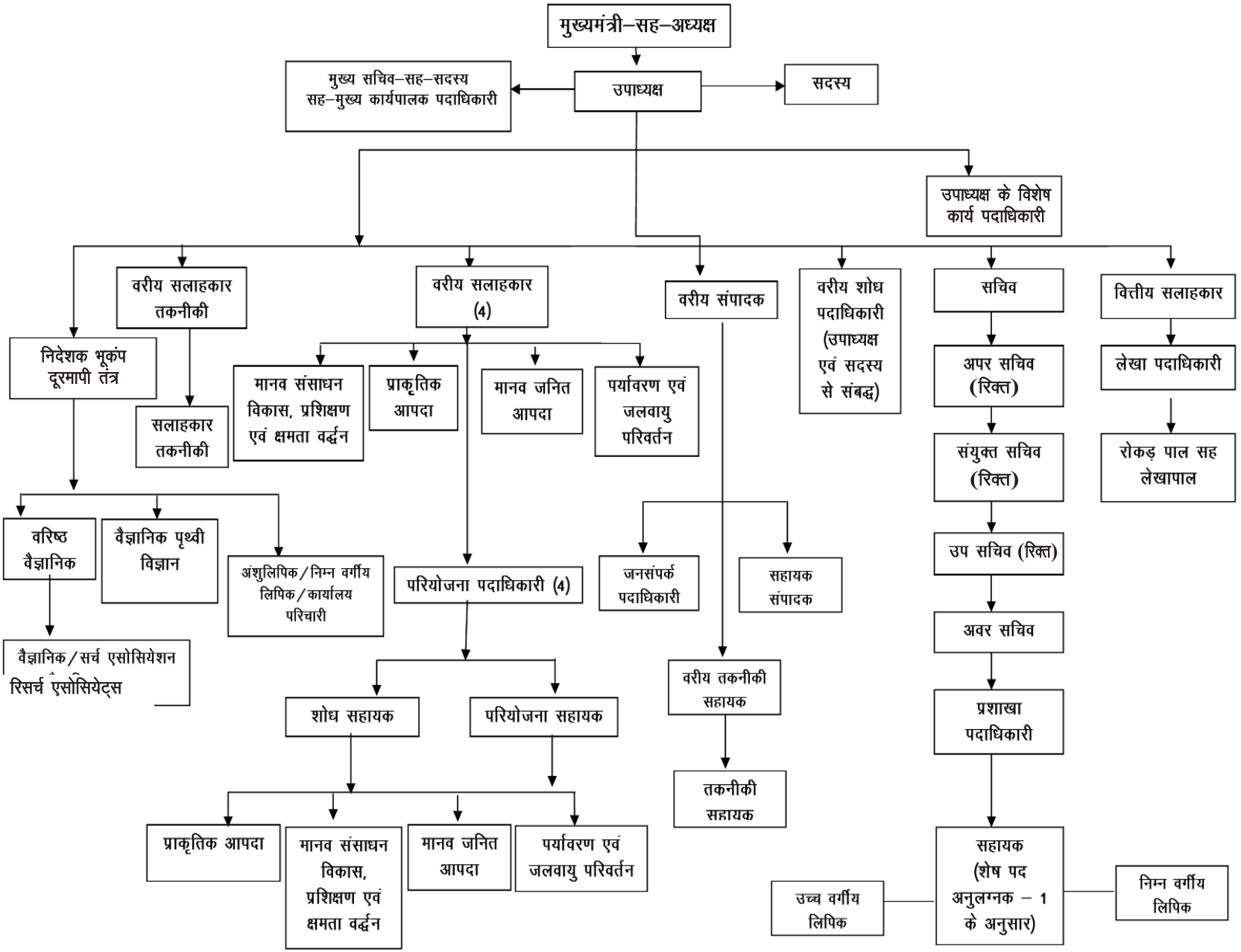

06. प्राधिकरण के लिए स्वीकृत पदः-

क्र०	पद का नाम	स्वीकृत बल	वर्तमान पदस्थापन
01	उपाध्यक्ष (मंत्री स्तर) सदस्य ०७ (राज्यमंत्री स्तर)	8 इस पद में से एक उपाध्यक्ष	03
02	सचिव/विशेष सचिव	01	01
03	अपर सचिव	01	00
04	संयुक्त सचिव	01	00
05	माननीय उपाध्यक्ष के विशेष कार्य पदाधिकारी	01	01
06	वरीय सलाहकार (तकनीकी)	01	01
07	सलाहकार (तकनीकी)	01	01
08	वरीय सलाहकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	01	01
09	वरीय सलाहकार, प्राकृतिक आपदा	01	01
10	वरीय सलाहकार, मानव संसाधन क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण	01	01
11	वरीय सलाहकार, मानव जनित आपदा	01	00
12	वरीय सम्पादक/सम्पादक	01	01
13	परियोजना पदाधिकारी, प्राकृतिक आपदा	01	01
14	परियोजना पदाधिकारी, मानव जनित आपदा	01	01
15	परियोजना पदाधिकारी, मानव संसाधन क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण	01	01
16	परियोजना पदाधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	01	01
17	वित्तीय सलाहकार	01	01
18	लेखा पदाधिकारी	01	01
19	वरीय शोध पदाधिकारी	05	01
20	वरीय तकनीकी सहायक/तकनीकी सहायक	04	02
21	सहायक सम्पादक	01	00
22	जन सम्पर्क पदाधिकारी	01	00
23	परियोजना सहायक/अनुसंधान सहायक	04	00
24	उप सचिव	01	00
25	अवर सचिव	02	01
26	प्रशाखा पदाधिकारी	03	02
27	सहायक	06	02
28	निजी सहायक	10	00
29	रोकड़पाल	02	01
30	उच्च वर्गी लिपिक	02	01
31	निम्न वर्गीय लिपिक	03	01+1
32	चालक	08	03+2
33	आदेशपाल/कार्यालय परिचारी/अनुसेवक	13	06
34	सफाई कर्मी	01	01
35	गार्ड	05	02

07. आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्राधिकरण की भूमिका:-

बिहार में आपदा का संपूर्ण परिदृश्य विभिन्न आपदाओं के सम्मिश्रण से उत्पनन होता है जो कि यहाँ के निवा. सियों के लिए अत्यंतं विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न करता रहा है। यह एक बहु-आपदा प्रवण राज्य है। जहाँ सभी प्रमुख प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाओं का कहर समय-समय पर राज्य के निवासियों पर बरपा है। राज्य के सभी 38 जिले विभिन्न आपदाओं के लिए प्रवण हैं। बाढ़ भूकंप, चक्रवाती तूफान, सुखाड़ अगलगी, लू, शीतलहर, नाव दुर्घटना, सड़क दुर्घटना आदि अनेक प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदायें इन जिलों को प्रभावित करती रही हैं। राज्य के 8 जिले भूकंप के सर्वाधिक संवेदनशील जोन V में 24 जिलें जोन IV में तथा ६ जिले 'one III में आते हैं। इसी प्रकार बाढ़ की दृष्टि से भी बिहार अत्यंत संवेदनशील है। राज्य के कुल 28 जिलें बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं जिसमें 15 जिले अति प्रवण एवं 13 जिले बाढ़ प्रवण की श्रेणी में आते हैं।

विभिन्न आपदाओं के संयुक्त प्रभाव को देखते हुए राज्य के आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में सभी जिलों को तीन श्रेणियों में रखा गया है- श्रेणी- । में बाढ़ के प्रति अत्यंत संवेदनशील एवं भूकम्पीय ZoneV में शामिल 10 जिलों को शामिल किया गया है। श्रेणी-B में अन्य बाढ़ प्रवण एवं भूकंपीय जोन IV में शामिल 18 जिलों को रखा गया है और श्रेणी C में मुख्यमः सुखाड़ के प्रति संवेदनशील एवं भूकंपीय Zone III में शामिल 10 जिलों को रखा गया हैं। इस प्रकार के क्षेणी विभाजन में अन्य आपदाओं को भी संज्ञान में लिया गया है।

आपदा प्रबधंन अधिनियम 2005 में प्रावधानित उपरोक्त सभी दायित्वों का बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। इन दायित्वों के निरूपण हेतु प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनेक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं और अनेक परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जाता है।, जिनमें मुख्य हैं-

I. आपदा जोखिम न्यूनीकरण को केन्द्र में रखकर राज्य एवं जिला स्तर पर संगठनात्मक सुदृढीकरण
II. राज्य, जिला एवं विभागीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण।
III. सभी भागीदारों एवं प्रभावितों का आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमतावर्धन, प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम।
IV. संरचनात्मक जोखिम न्यूनीकरण एवं सुरक्षित निर्माण (Safe Construction) को बढ़ावा देने के लिए अभियन्ताओं, वास्तुविदों एवं राजमिस्त्रियों को भूकंपरोधी निर्माण हेतु प्रशिक्षण।
V. आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सभी विकास कार्यों में समाहित करना।
VI. सभी आपदाओं के संबंध में प्रभावशाली पूर्व-सूचना प्रणाली के विकसित करना।
VII. आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में नए शोध कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना एवं तत्संबंधी सहयोग प्रदान करना।

08. प्राधिकरण द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रम-एक झलक:-

- राज्य के अभियंताओं/वास्तुविदों एवं राजमिस्त्रियों को भूकंपरोधी भवन निर्माण तकनीक पर प्रशिक्षण।
- राज्य के नाविकों एवं नाव मालिकों का सुरक्षित नौका परिचालन पर NINI के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- आदर्श नौका परिचालन नियमावली के अनुसार

अधिसूचित सर्वेक्षकों/निबंधकों का प्रशिक्षण।

- बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीककरण प्रशिक्षण।
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग के सहयोग से राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार का आयोजन।
- राज्य के सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों एवं प्रखण्ड प्रमुख/जिलों परिषद अध्यक्षों का बहु-आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधित प्रशिक्षण।
- सड़क सुरक्षा हेतु जन-जागरूकता।
- पशु चिकित्सकों का आपदाओं में पशुओं के प्रबधंन विषयक प्रशिक्षण।
- ६-१८ आयुवर्ग के बच्चों/किशोरों को डूबने से बचाने हेतु तैराकी का प्रशिक्षण।
- बिहार टेलीमेट्री नेटवर्क की स्थापना।
- आपदा राहत बचाव विषयक सामुदायिक प्रशिक्षण।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सघन जन-जागरूकता कार्यक्रम आदि।
- पटना स्थित सभी अस्पतालों को आग से सुरक्षित रखने के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं अस्पताल के हितभागियों के क्षमतावर्द्धन सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन।

09. प्राधिकरण के प्रभाग

(i) प्राकृतिक आपदा प्रभाग

- बिहार में परिसंकट तथा अपनी सुरक्षा लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- पूर्व कार्रवाई करने के प्रति पणधारकों (स्टेक होल्डर्स) को संवेदनशील बनाना ताकि परिसंकट का प्रभाव न्यूनतम किया जा सके।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों और अस्पतालों/औषधालयों की सुरक्षा के प्रति ध्यान केन्द्रित करना।
- नगर निगम, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों की भवन उपविधियों में उपांतरण पर: स्थापित करना तथा उपविधियों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए उन्हें सशक्त बनाना।
- प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने के संबंध में जिला पंचायतों और ग्राम सभाओं को संवे. दनशील बनाना तथा सशक्त करना एवं उनके आवासीय मकानों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए साधारण दिशा-निर्देश उपलब्ध कराना।
- यह सुनिश्चित करना कि नए निर्माण की रूप-रेखा आपदा रोधी हो और अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए।
- विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के अधीन विद्यमान विनिर्माणों, मुख्यत: भवनों, पुलों, बांधों आदि की सुरक्षा का मूल्यांकन करना तथा उनमें जुड़नार लगाने (रिट्रोफिटिंग) का तरीका विकसित करना ताकि संपूर्ण विध्वंश या गंभीर क्षति से सुरक्षा की जा सके।
- आपदा जोखिम में कमी सहित उपयुक्त आपदा प्रबंधन के लिए आपदाओं की छद्मरूपी घटनाओं में क्षति का परिदृश्य बनाने की अपेक्षा होगी।
- सभी प्राकृतिक परिसंकटों के प्रभाव का शमन करने के लिए विभिन्न पणधारकों (स्टेक होल्डर्स) के क्षमता निर्माण में सहायता करना।
- एन०डी०एम०ए० द्वारा जारी सुसंगत दिशा-निर्देशों को प्रसारित करना तथा उनके लिए कदम उठाना।
- जहां कहीं आवश्यक हो, शहरी स्थानीय निकायों की भवन उपविधियों में उपयुक्त उपान्तरणों को पुन:स्थापित करना और तद्नुसार उन्हें कार्यान्वित करना।

(ii) पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (ज.प.अ.) प्रभाग

- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सें संबंधित उभरती विचारधारा एवं सुसंगत विषयों के प्रति जागरूकता लाना।
- बिहार की वर्त्तमान और भावी अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को रेखांकित करना।
- जलवायु से संबंधित समस्याओं का सुव्यवस्थित निरूपण विकसित और प्रदर्शित करना तथा कम लागत वाले उपायों की रूप रेखा तैयार करना।
- क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न पणधारकों, यथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में सरकारी पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाना।
- क्षमता निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी आदि में कार्मिकों को संवेदनशील बनाना।
- बिहार में परिस्थितिकी और जलवायु परिवर्त्तन अनुकूलन के सुसंगत विषयों का अध्ययन करना।
- शैक्षिक पाठ्यक्रमों में सुसंगत विषयों के समावेश को प्रोत्साहित करना।
- बिहार में बार-बार होने वाली सुखाड़ की स्थितियों का विश्लेषण करना और अनुकूलन उपायों के लिए जलवायु परिवर्तन के रूझानों और पर्याप्त रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए उनके शमन के लिए संभावित उपायों की योजना बनाना।

(iii) मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रभाग

- विभिन्न परिसंकटों (प्राकृतिक और मानव) के शमन एवं तत्परता के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप किए जाएंगे:-
- क्षमता निर्माण करना, विभिन्न पणधारकों (स्टेक होल्डर्स) का लक्ष्यांकन प्रथमतः सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सरकारी पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए लक्ष्यांकित किया जाएगा।
- वास्तुविदों, अभियंताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों, विनिर्माताओं और संविदाकारों आदि से सम्पर्क साधना ताकि दोषपूर्णता मूल्यांकन, जोखिम विश्लेषण और आपदा प्रबंधन के विभिन्न घटकों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जा सके।
- वांछित फलाफल की प्राप्ति के लिए समुचित रणनीति तैयार करना।
- विभिन्न स्तरों पर लोगों को समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम तैयार करना।
- प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सांस्थिक सुविधाएं सृजित करने में और शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सहायता करना।
- न केवल पूर्व से कार्यरत सभी पदधारकों को प्रशिक्षण देना बल्कि सरकार, विभिन्न उपक्रमों या गैर सरकारी संगठनों के अधीन सेवा में आने वालों को भी प्रशिक्षित करना।

(iv) मानव जनित आपदा प्रभाग

- बिहार में परिसंकट तथा अपनी सुरक्षा लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- पूर्व कार्रवाई करने के प्रति पणधारकों (स्टेक होल्डर्स) को संवेदनशील बनाना ताकि परिसंकट का प्रभाव न्यूनतम किया जा सके।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों और अस्पतालों/औषधालयों की सुरक्षा के प्रति ध्यान केन्द्रित करना।
- नगर निगम, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों की भवन उपविधियों में उपान्तरण पुर:स्थापित करना तथा उपविधियों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए उन्हें सशक्त बनाना।
- मानव प्रेरित आपदाओं के घटित होने के संबंध में जिला पंचायतों और ग्राम सभाओं को संवेदनशील बनाना तथा सशक्त करना तथा उनके आवासीय/शासकीय मकानों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए साधारण दिशा निर्देश उपलब्ध करना।
- विश्लेषण और योजना बनाने के लिए क्षद्मरूपी स्थिति के अधीन क्षति के परिदृश्य सृजित और विकसित करना।
- सभी मानव प्ररित परिसंकटों के प्रभाव का शमन करने के लिए विभिन्न पणधारकों (स्टेक होल्डर्स) को क्षमता निर्माण में सहायता करना।
- एन०डी०एम०ए० द्वारा जारी सुसंगत दिशा निर्देशों को प्रसारित करना और राज्य में उनके कार्यान्वयन के लिए कदम उठाना।

(V) मीडिया एवं आई टी० प्रभाग

प्राधिकरण का मीडिया एवं आई० टी० प्रभाग सभी प्रभागों के समन्वय में कार्य करता है और इस प्रकार सभी प्रभागों में इसका कार्य विस्तार है। यह प्रभाग मुख्य रूप से प्राधिकरण की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को आमजन तक ले जाने का कार्य करता है। विभिन्न जन-संचार एवं तकनीकी माध्यमों द्वारा यह प्रभाग प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास करता है। इस प्रभाग के कार्यों से ही अन्य प्रभाग के कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुँचती है।

इस प्रभाग के प्रमुख कार्यों में जनसम्पर्क एवं विभिन्न हितभागियों के साथ सम्पर्क, आपदा प्रबंधन संबंधी जन जागृति एवं शिक्षण हेतु रणनीति निर्माण, मीडिया प्रबंधन एवं समन्वय, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संप्रेषण, सम्पादन एवं प्रकाशन तथा जागरुकता हेतु सामग्री निर्माण (IEC) संबंधी गतिविधियाँ आदि शामिल हैं।

इस प्रभाग के कार्यों को दो भागों में बाँटा जा सकता है।

१. मीडिया संबंधी कार्यः-

- प्राधिकरण के त्रैमासिक न्यूजलेटर 'पुनर्नवा' का प्रकाशन।
- प्राधिकरण की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों पर मासिक रिर्पोट का प्रकाशन।
- प्राधिकरण वर्ष की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन एवं संपादन।
- प्राधिकरण के किसी भी कार्यक्रम के पूर्व एवं पश्चात् प्रेस विज्ञप्ति जारी करना।
- बिहार दिवस के अवसर पर मीडिया के साथ बेहतर समन्वय।
- प्राधिकरण द्वारा चलाये जाने वाले मॉकड्रिल कार्यक्रमों में मीडिया के साथ समन्वय।
- प्राधिकरण के सभी कार्यक्रमों में मीडिया की एक हितधारक के रूप में भागीदारी सुनिश्चित करना।
- मीडिया संबंधी कार्यों के अतिरिक्त यह प्रभाव प्राधिकरण के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। सोनपुर मेला के सफल निष्पादन की पूरी जिम्मेदारी मीडिया एवं आई० टी० प्रभाग पर ही रहती है।

२ आई० टी० संबंधी गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँः-

- पूरे राज्य में अबतक १० लाख से अधिक लोगों तक Mass Messaging के माध्यम से आपदा संबंधी जन-जागरूकता के संदेशों का प्रसारण।
- सोशल मीडिया के माध्यम से प्राधिकरण के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना।
- राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क (State Disaster Resource Network- SDRN विकसित करने का कार्य जारी है।
- प्राधिकरण के सभी कार्यक्रमों एवं प्रभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।

बिहार राज्य भूकम्प दूरमापी तंत्र की स्थापना

भूकम्प की दृष्टि से हिमालयन क्षेत्र के निकट होने के कारण बिहार के भूभाग भूकम्प की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। बड़े भूकम्पों के अलावे जमीन के अन्दरूनी भाग में भूकम्प उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाले विभिन्न अपभ्रन्श (faults) हैं, जो इस भूभाग में आन्तरिक रूप से लगातार क्रियाशील हैं।

इस प्रकार की भूकंपिय संवेदना को दृष्टिपय रखते हुए यह आवश्यक पाया गया कि बिहार के भूभाग में भूकम्पिय स्थिति एवं इसके बदलाव पर सतत निगरानी की जाय तथा इसके आंकड़ों को इकट्ठा कर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाय जिसका प्रयोग क्षेत्र विशेष में भूकम्परोधी भवन निर्माण के तकनीक में किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वर्ष 2012 में माननीय मुख्यमंत्री जी के निदेश पर प्रो० ए० एस० आर्य, तत्कालीन सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य बिहार के भूकम्पिय गतिविधियों पर सतत निगाह रखने हेतु उपायों पर परामर्श एवं अनुशंसा करना था। समिति द्वारा अनुशंसित किया गया कि बिहार के १० जिले जो भूकम्पीय दृष्टि से अति संवेदनशील हैं, इस क्षेत्र में भूकम्प दूरमापी तंत्र विकसित किए जाए तथा आंकड़ों का केन्द्रीय संग्रहण केन्द्र, पटना में स्थापित किया जाए।

भूकम्प दूरमापी तंत्र का केन्द्र पटना विश्व. विद्यालय परिसर में स्थापित करने के संबंध में पटना विश्वविद्यालय एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच एक Memorandum of Understanding (MoU) दिनांक 18-02-2019 को हस्ताक्षरित किया गया तथा केन्द्र के भवन निर्माण हेतु पटना विज्ञान महाविद्यालय परिसर में जगह चिन्हित कर ली गयी है।

दस क्षेत्रीय वेधशालाओं में से 3 (तीन) वेधशालाओं मुजफ्फरपुर, गोपालगंज एवं छपरा का कार्य पूरा हो चुका है तथा हस्तान्तरण की प्रक्रिया में है। क्षेत्रीय वेधशाला पूर्णिया में भवन निर्माण का कार्य पूरा होने के उपरान्त भूकम्पीय पिलर का भी निर्माण किया जा चुका है। पटना क्षेत्रीय वेधशाला के भवन निर्माण का कार्य भी सम्पूर्णता की ओर है।

प्राधिकरण की 10वीं बैठक

माननीय मुख्यमंत्री-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 10वीं बैठक की कार्यवाही (06-09-2017)

माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष की अध्यक्षता में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 10वीं बैठक, दिनांक–06.09.2017 की कार्यवाही।

1. उपस्थिति-अनुलग्नक 'I' पर ।
2. बैठक मे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा पूर्व अनुमोदित कार्यसूची के अनुसार प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतियों एवं बैठक में उठाए विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गये :–

क्र0	कार्यसूची में अंकित विषय/प्रस्ताव	निर्णय/निदेश	अनुपालन का दायित्व
1	01–गत बैठक के कार्यवाही की संपुष्टि	संपुष्ट किया गया	–
2	02–प्राधिकरण के विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति	मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि चूँकि प्राधिकरण के 5वीं बैठक से 9वीं बैठक तक के विभिन्न निर्णयों का अनुपालन अबतक लंबित हैं। यह भी संभव है कि इनमें से बहुत से निर्णय आज की परिस्थिति के अनुसार आवश्यक नहीं हों। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि अनुपालन के बिन्दुओं की पुर्नसमीक्षा कर यह देख लिया जाय कि किन–किन निर्णयों के अनुपालन की वास्तव में आवश्यकता रह गयी है। जिन बिन्दुओं के अनुपालन की आवश्यकता रह गयी हो, उन्हें प्राधिकरण की अगली बैठक में समीक्षा के साथ रखा जाय। अगली बैठक नवम्बर, 2017 की किसी तिथि को मा0 मुख्यमंत्री की सुविधानुसार निर्धारित करा लेने का निदेश दिया गया।	प्राधिकरण
3	03– प्राधिकरण द्वारा गत बैठक से अब तक किए गए कार्य (अनुलग्नक II पर)	(1) माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष गत बैठक से अबतक प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यो से अवगत हुए।	–
		(2) बैठक में बताया गया कि NDMA से प्राधिकरण एवं 15 DDMAs के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है। प्राप्त राशि का उपयोग मानव संसाधन एवं आधारभूत सुविधाओं के मद में किया जाना है। माननीय अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि उपरोक्त 15 DDMAs के साथ राज्य के शेष DDMAs के सुदृढ़ीकरण हेतु भी विचार किया जाए।	प्राधिकरण
		(3) बैठक मे बताया गया कि NDMA द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहयोग से मधुबनी एवं अररिया जिलों में "राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा"कार्यक्रम	प्राधिकरण एवं शिक्षा विभाग

		(NSSP)संचालित किया गया, जिसकी अवधि मार्च, 2017 तक थी। इस योजना की बची हुई राशि से NDMAके साथ विचार–विमर्श कर इन दोनों जिलों के कुल 3 (तीन) विद्यालयों में रेट्रोफिटिंग का कार्य कराया जा रहा है, जो पूर्ण होने की स्थिति में है। मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों का चरणबद्ध ढंग से RVS कराकर इनके Retrofitting का कार्य कराया जाए। BSDMA द्वारा इन कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा एवं शिक्षा विभाग अपने बजट में राशि का आवश्यकतानुसार प्रावधान करेगा।	
		(4) मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष के द्वारा निदेश दिया कि राज्य के सभी अस्पताल भवनों का भी चरणबद्ध ढंग से RVS कराकर Retrofitting कराया जाए। BSDMA द्वारा इन कार्यों में प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा एवं स्वास्थ्य विभाग अपने बजट में इस हेतु राशि का आवश्यकतानुसार प्रावधान करेगा।	प्राधिकरण एवं स्वास्थ्य विभाग
		(5) NDMA के वित्तीय सहयोग से संचालित "आपदा मित्र" की परियोजना के संबंध में निर्णय हुआ कि "आपदा मित्र" नामकरण से भविष्य में कई तरह की व्यवहारिक कठिनाईयाँ आ सकती हैं, अतएव इस परियोजना का कोई अन्य उपयुक्त नाम रखा जाए।	प्राधिकरण द्वारा NDMA से तदनुसार अनुरोध किया जाएगा एवं राज्य में इसका उपयुक्त नामकरण किया जाएगा।
		(6) प्राधिकरण के Professionals की चार टीमों द्वारा किशनगंज/अररिया/पूर्वी चम्पारण/प0 चम्पारण के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से आँकड़े इक्कठा किए गए हैं। मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा अध्ययन के परिणामों से अवगत कराने का निदेश दिया गया।	प्राधिकरण
		(7) बताया गया कि नाविकों/नाव मालिकों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान कतिपय जिला पदाधिकारियों का सुझाव आया है कि सरकार द्वारा नावों की खरीदगी के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से नाव खरीदने वालों को 50% राशि अनुदान में देकर उनसे अनुबंध कर लिया जाये।	आपदा प्रबंधन विभाग/योजना एवं

		मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष ने निदेशित किया कि सरकार के स्तर पर इस प्रस्ताव पर सम्यक रूप से विचार–विमर्श कर योजना तैयार की जाए। (8) मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा बताया कि मंत्री परिषद की बैठक में अनौपचारिक रूप से यह सुझाव आया है कि प्रत्येक बाढ़ प्रवण पंचायत में 5–5 नावें सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी जायें, जिसके रख–रखाव एवं बाढ़ के समय परिचालन की जवाबदेही मुखिया की होगी। इन नावों में "आदर्श नौका परिचालन नियमावली" के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था भी कर दी जाए। इन नावों के परिचालन हेतु पंचायतों के युवकों को BSDMA द्वारा प्रशिक्षित किया जाएंगा। निदेश दिया गया है कि इस सुझाव की समीक्षा कर योजना बनायी जाए।	विकास विभाग/वित्त विभाग नावों (रख–रखाव एवं सुरक्षा उपकरणों सहित) की व्यवस्था– आपदा प्रबंधन विभाग/पंचायती राज विभाग/योजना एवं विकास विभाग। नाविकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था–प्राधिकरण
4	प्राधिकरण के वर्ष 2014–2015 एवं 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन का उपस्थापन। वर्ष 2014–15 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा गया है। वर्ष 2015–16 का वार्षिक प्रतिवेदन मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित है।	सूचना ग्रहण की गयी।	वर्ष 2015–16 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से रखा जाएगा। कार्रवाई : प्राधिकरण /आपदा प्रबंधन विभाग
5	प्राधिकरण की वर्ष 2017–2018 एवं 2018–2019 की प्रस्तावित कार्य योजना एवं बजट की स्वीकृति (अनुलग्नक III पर)	निदेशित किया गया है कि Activity-Wiseबजट नवम्बर,2017 में होने वाली आगामी बैठक में रखा जाए। प्रस्तावित कार्य योजना की स्वीकृति निम्न सुझावों/संशोधनों/Observations के साथ दी गयी: (1)"जिला आपदा प्रबंधन योजना" जमीनी वास्तविकता के आधार पर तैयार होनी चाहिए तथा यह Actionable एवं Doableभी होनी चाहिए। (2)"City Disaster Management Plan" प्रथम चरण में बिहार के सभी नगर निगमों के लिए तैयार कराया जाय।	प्राधिकरण प्राधिकरण प्राधिकरण

		(3) प्राधिकरण को "प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन" के कार्यक्रमों को प्रथम प्राथमिकता में रखना है। (4) वज्रपात के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि वज्रपात से जान की काफी क्षति हो रही है। यदि वज्रपात गिरने की सूचना आधा घंटा पहले भी प्राप्त हो जाती है, तो जान की क्षति रोकी जा सकती है। प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश की तर्ज पर EWS पर विभाग द्वारा कार्य चल रहा है। प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि इसके लिए जो Action Planबनाया जा रहा है, वह जन–जागरूकता को केन्द्र में रखकर बनाया जा रहा है। निदेश दिया गया कि EWS एवं Action Planशीघ्र तैयार हो। (5) लघु बांधों के सर्वेक्षण के प्रस्तावित कार्ययोजना के संबंध में निदेशित किया गया कि अभी इसकी आवश्यकता नही है। चूंकि जमींदारी बांध के संबंध में सूचना जल संसाधन विभाग के पास है और मनरेगा की राशि से बांध बनाने की सूचना ग्रामीण विकास विभाग के पास है, प्राधिकरण को संबंधित विभाग से उक्त सूचना प्राप्त कर लेनी चाहिए।	प्राधिकरण EWS:आपदा प्रबंधन विभाग Action Plan:प्राधिकरण प्राधिकरण
6	06– प्राधिकरण द्वारा सूचना एवं जन–संपर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित विज्ञापनों/सलाहों/एडवाइजरी आदि के विपत्रों के भुगतान के संबंध में विचार।	प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि सरकारी विभागों की तर्ज पर ही प्राधिकरण द्वारा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित विज्ञापनों/सलाहों/एडवाइजरी आदि के भुगतान पर विचार किया जाए। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे विज्ञापनों का विपत्र सूचना एवं जन संपर्क विभाग से प्राधिकरण को प्राप्त होता है, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा सीधे समाचार पत्रों के प्रबंधन को किया जाता है। समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि इस मद में पूर्व वर्षों की भी काफी राशि भुगतान हेतु बकाया है। निर्णय हुआ कि मुख्य सचिव द्वारा सभी पक्षों की बैठक बुलाकर मामले का समाधान निकाला जाएगा।	मुख्य सचिव/आपदा प्रबंधन विभाग/प्राधिकरण
7	07–बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–16) का प्रस्तुतीकरण	प्राधिकरण की नवम्बर माह की अगली बैठक में विस्तृत रूप से इसका प्रस्तुतीकरण हो।	प्राधिकरण
8	08– बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अनुशरण में विभिन्न	प्राधिकरण की नवम्बर माह की अगली बैठक में समीक्षा होगी।	आपदा प्रबंधन विभाग

	विभागों/एजेन्सियों द्वारा किए गये कार्यों की समीक्षा		
9	09– अन्यान्य (1) भूकम्परोधी निर्माण संबंधी प्रशिक्षण सत्रों में अभियंताओं की ससमय उपस्थिति सुनिश्चित कराने के संबंध में।	मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा सभी कार्य विभागों को निदेशित किया गया कि प्रशिक्षण के दौरान विभागीय अभियंताओं को निश्चित रूप से ससमय भेजा जाय तथा प्रशिक्षण के दौरान उन्हें वापस नहीं बुलाया जाय।	सभी कार्य विभाग
	(2) आपदा प्रबंधन भवन के निर्माण पर विचार, जिसमें प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग, BSIDM, SEOCआदि सभी एक छत नीचे रहें।	मा0 मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि गृह विभाग को पुराना सचिवालय में आवंटित भवन दिसम्बर, 2017 में खाली होने की संभावना है। अतएव उक्त भवन में आवश्यकतानुसार स्थान आवंटित किये जाने पर मुख्य सचिव बैठक कर समाधान निकालें।	भवन निर्माण विभाग
	(3) राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठकों में प्राधिकरण के प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल करने पर विचार।	अनुमोदित। परन्तु नियमित पदाधिकारी भाग लेगें।	आपदा प्रबंधन विभाग
	(4) परिवहन विभाग में गठित "राज्य सड़क सुरक्षा समिति" में प्राधिकरण के प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने पर विचार ।	अनुमोदित	परिवहन विभाग
	(5) अध्यक्ष की अनुमति से लिए गये विषय	(1) राज्य में NDRF की तर्ज पर SDRF की एक बटालियन का गठन किया गया है। एक बटालियन में कुल 18 टीमें होने का प्रावधान है। प्रत्येक टीम में 45 कार्मिक होते हैं।वर्त्तमान में SDRF में 16 टीमें हैं। SDRF का उपयोग बाढ़ एवं भूकम्प के अलावा अगलगी एवं चक्रवाती तूफान में भी किया जा सकता है। निर्णय लिया गया कि SDRF में टीमों की संख्या वर्त्तमान की 16 से बढ़ाकर 50 करने की कार्रवाई की जाए। इसके लिए पूर्व की भांति बिहार सैन्य पुलिस में अतिरिक्त पदों का सृजन भी किया जाए। वर्त्तमान में SDRFमें 16 टीमों के कार्यरत	आपदा प्रबंधन विभाग/गृह विभाग

		रखने की सूचना दी गयी।	30
		(2) पहली बार बिहार के समतल इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतएव निर्णय लिया गया कि इसके कारणों का अध्ययन संयुक्त रूप से NDMA तथा BSDMA द्वारा कराया जाए। बैठक में उपस्थित NDMA के सदस्य, श्री कमल किशोर इस प्रस्ताव से सहमत हुए।	NDMA / प्राधिकरण
		(3) बिहार में 6 करोड़ से भी अधिक मोबाईल फोन के उपभोक्ता हैं। निर्णय लिया गया कि उपभोक्ताओं के बीच आपदा जागरूकता के लिए मोबाईल फोन के माध्यम से संवाद प्रेषण पर विचार किया जाए।	आपदा प्रबंधन विभाग / प्राधिकरण
		(4) प्राधिकरण में गठित परामर्शदात्री समितियों के संबंध में विचार विमर्श कर निदेशित किया गया कि यह देख लिया जाए कि विभिन्न समितियों के सदस्य अपने विषय के जानकार हों।	प्राधिकरण
		(5) मा0 उप मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि सभी निजी नावों में सरकार की ओर से लाइफ जैकेट उपलब्ध कराने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि नाव दुर्घटनाओं से होने वाली जन हानि में कमी लायी जा सके। निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव का परीक्षण कर सरकार के समक्ष ठोस प्रस्ताव लाया जाए।	आपदा प्रबंधन विभाग / वित्त विभाग

अंत में बैठक की कार्यवाही सचिव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई ।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

Annexure - III

रण की वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 का प्रस्तावित कार्य योजना एवं बजट की स्वीकृति

Bihar State Disaster Management Authority (BSDMA)

Action Plan for BSDMA for Two Years (2017 – 19)

In the light of DM Act 2005, State Disaster Management Plan (SDMP) and DRR Roadmap of Bihar (2015 – 30), Bihar State Disaster Management Authority (BSDMA) has developed a strategy and plans for next two years. This has evolved through a visioning exercise conducted by BSDMA since November 2017. There will be reviews and monitoring of progress on the proposed action plan for next two years and it may be revised accordingly.

BSDMA Divisions –

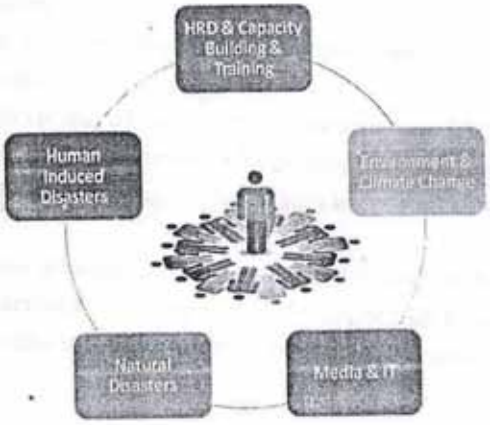

In order to execute BSDMA's programmes and policy, it has been constituted with 5 divisions in it which include 4 functional areas, supported by one Finance and Administration Section. BSDMA has another support division which is Media & IT division.

Thematic Area wise Work Plan

A. **Policy Plan Interventions**
   - (i) Review of State DM Policy 2007
   - (ii) Departmental Disaster Management Plan for all departments of the State Government
   - (iii) Office Disaster Management Plan of headquarter offices of Govt. departments.

Annexure - III

(iv) Technical Assistance to DDMAs in preparation of Village Disaster Management Plans (VDMPs) (Group A districts as per DRR Roadmap)
(v) Completion of District Disaster Management Plan of all districts
(vi) City Disaster Management Plan of Patna / Muzaffarpur / Bhagalpur / Gaya / Bihar Shareef
(vii) Technical Assistance in preparation of Animal Disaster Management Plan

B. Training & Capacity Building Programmes

(i) Engineers / Architects / Masons Training on Earthquake Resistant Constructions
(ii) Supporting establishment and strengthening of BSIDM
(iii) Capacity building of Responders for Disaster Risk Reduction and Management
(iv) Training of BAS & BPS officers on DRR
(v) Training of other stakeholders

C. Mitigation and DRR Measures

(i) Technical advice for disaster resistant constructions / retrofitting of schools and government buildings.
(ii) Technical support to various departments / agencies as per DRR Roadmap
(iii) Formulation and technical support in the implementation of "Safe Saturday" under MukhyaMantri School Safety Programme (MSSP) in collaboration with Education Department
(iv) Disaster Management Information System – State Disaster Resource Network (SDRN)
(v) Implementation of activities assigned to BSDMA under DRR Roadmap
(vi) Technical support to the stakeholders for mitigation of adverse impacts of cyclonic storms / flood / fire etc.

D. Action Plans& Guidelines Preparation and Implementation

(i) Earthquake Safety
(ii) Road Safety and other human induced disasters
(iii) Fire Safety
(iv) Action Plan for prevention / mitigation ofDrowning incidents
(v) Lightning Action Plan
(vi) Action Plan for prevention / mitigation ofBoat Capsizing incidents
(vii) Action Plan to mitigate climate change induced disasters
(viii) Heat Waves Action Plan
(ix) Cold Waves Action Plan
(x) Action Plan for prevention / mitigation of disasters caused by environmental degradation
(xi) Crowd management

Annexure - III

E. Awareness Programmes

(i) Road Safety Week
(ii) Earthquake Safety Week
(iii) Fire Safety Week
(iv) Flood Safety Week
(v) Awareness stalls in Bihar Diwas / Sonepur Mela and other mass gathering events
(vi) Technical support in ongoing School Safety Day and School Safety Fortnight
(vii) Communication plan for mass awareness
(viii) Regular publications – periodicals, DRR calendar and IEC materials
(ix) Awareness through mass media – electronic, print and social media
(x) Other natural, human induced and climate change induced disasters
(xi) Advisories on prevention/mitigation of disasters and preparedness

F. Research & Studies / Surveys

(i) Establishment and functioning of Bihar Seismic Telemetry Networks.
(ii) Strategies on Industrial Safety
(iii) Survey of the status of "Laghu Bandhs" (Zamindari Bandhs) in all the 38 districts of Bihar
(iv) Survey/Study on current status of Pollution (air, water, soil & sound) in Patna, Gaya, Bhagalpur and Muzaffarpur
(v) Updation of Flood hazard atlas of Bihar
(vi) Study of impacts of successive earthquakes in Bihar
(vii) Other studies on disaster mitigation

G. NDMA Projects

(i) Strengthening of SDMA and DDMAs
(ii) Aapda Mitra Project
(iii) Community based DRR (CBDRR)

H. Miscellaneous

(i) Strengthening of District Disaster Management Authorities (DDMAs)
(ii) Regular meeting of advisory committees and creation of SRGs for each division which can meet more frequently throughout the year.
(iii) Collaborations & Partnerships with stakeholders

10. प्राधिकरण की 11वीं बैठक

माननीय मुख्यमंत्री-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दिनांक 10.11.2017 को आयोजित 11वीं बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति-- अनुलग्नक 'I' पर ।

2. प्राधिकरण की दिनांक 06.09.2017 को आयोजित 10वीं बैठक में अनुमोदित कार्य सूची के कतिपय बिन्दुओं पर विचार नहीं हो सका था। अविचारित बिन्दुओं पर विचारार्थ प्राधिकरण के अध्यक्ष–सह–माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आयोजित 11वीं बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गए :–

एजेंडा संख्या 1 : विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति

क्र0सं0	विभाग	पूर्व का निर्णय	अनुपालन प्रतिवेदन	बैठक के दौरान प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति	अद्यतन निर्णय
1	2	3	4	5	6
1	परिवहन विभाग	पटना एवं राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में ट्रैफिक पार्कों की स्थापना--8वीं बैठक (दिनांक 28.02.2014)-- एजेंडा--9(घ) (ज) एवं 9वीं बैठक (दिनांक 28.03.2015)-- एजेंडा -- 5 (V)	परिवहन विभागीय पत्रांक 1422 दिनांक 26.03.2015 द्वारा सूचित किया गया था कि पटना शहर में ट्रैफिक पार्क की स्थापना हेतु नगर विकास विभाग को भूमि उपलब्ध कराने का विभाग ने अनुरोध किया है। अन्य शहरों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं है।	नगर विकास विभाग द्वारा पटना में अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।	निदेश दिया गया कि परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर पटना एवं अन्य प्रमुख शहरों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए अग्रेतर कार्रवाई शीघ्रता से करे।
2	जल संसाधन विभाग	1. बाढ़ प्रबंधन सहायक केन्द्र अनीसाबाद में पूर्वानुमान प्रणाली का विकास--6वीं बैठक (दिनांक 8.5.2012) --क्रमांक --4	जल संसाधन विभाग के पत्रांक 211 दिनांक 3.05.2016 के अनुसार Pilot Project के रूप में बागमती–अधवारा बेसिन के लिए Flood Forecast एवं Inundation Modeling का कार्य शुरू किया गया। तदनुसार ढेंग पुल से हायाघाट तक 72 घंटे lead time के साथ बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया गया है, परंतु पूर्वानुमान की सत्यता अपेक्षित प्रतिशत से कम है। फलतः उक्त मॉडल को बेहतर वर्षा पूर्वानुमान आदि के ऑकड़े प्राप्त कर अपेक्षित स्तर तक विकसित करने की [illegible] की जा रही है।	जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान के संदर्भ में अद्यतन प्रगति का विवरण दिया गया और बताया गया कि इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्य हो रहा है।	अनुपालित
		2. फरक्का बराज के निर्माण के कारण गंगा नदी पर प्रभाव एवं आधारित जनसंख्या की जीविका पर प्रभाव पर Water and Power Consultancy Organization (WAPCOS) द्वारा कराये जा रहे अध्ययन की रिपोर्ट/स्थिति– 9वीं बैठक (दिनांक 28.03.2015) एजेंडा–7(1)	जल संसाधन विभाग के पत्रांक 211 दिनांक 03.5.2016 के अनुसार WAPCOS द्वारा दिये गए अध्ययन रिपोर्ट से जल संसाधन विभाग संतुष्ट नहीं है।	–	अनुपालित
3	पुलिस महानिदेशक, बिहार	आपदा की स्थिति हेतु पुलिस थानों का सुदृढ़ीकरण एवं पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण (बिपार्ड के माध्यम से) –5 वीं बैठक दिनांक 25.6.2011 एजेंडा–7(2)	पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) के पत्रांक 5581 दिनांक 12.7.2017 द्वारा अनुपालन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी।	पुलिस महानिदेशक द्वारा बताया गया कि आपदाओं के उन्मुखीकरण के बिन्दु पर 42 पुलिस पदाधिकारियों को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। साथ ही इन मास्टर ट्रेनर द्वारा अब जिलों में सिपाहियों/होम गार्ड के जवानों को प्रशिक्षित किये जाने का निदेश जिलों को दिया गया है।	अनुपालित
4	महानिदेशक, बिपार्ड	बाढ़/भूकम्प एवं सूखे से निपटने के उपायों को बिपार्ड के प्रशिक्षण माडयूल में शामिल किया जाना– 5वीं बैठक (दिनांक 25.6.2011)– एजेंडा 7(4)	महानिदेशक बिपार्ड के पत्रांक 258 दिनांक 08.03.2017 द्वारा अनुपालन की सूचना प्राप्त है।	–	अनुपालित
5	शिक्षा विभाग	1. शिक्षण संस्थानों (स्कूल/कॉलेजों इत्यादि) में Electronic & Print Media का प्रभावकारी इस्तेमाल (आपदा प्रबंधन के संबंध में जन–जागरूकता)– 5वीं बैठक (दिनांक 25.6.2011)– एजेंडा–7(9)	अप्राप्त	शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थानों में 'इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया' के प्रभावकारी इस्तेमाल के बिन्दु को "मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम" (MSSP) में सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया।	पूर्व निर्णय के स्थान पर शिक्षा विभाग के इस नए प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी ।
		2. आपदा प्रबंधन विषय को पाठ्यक्रम (सातवीं एवं आठवीं) में शामिल करना–5वीं बैठक (दिनांक–25.6.2011) एजेंडा–6	अप्राप्त	प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।	अनुपालित

		3. शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकारी भवनों की रिट्रोफिटिंग हेतु प्राधिकरण स्तर पर कार्रवाई–9वीं बैठक दिनांक 28.3.2015 एजेंडा–5 (ii)	मधुबनी एवं अररिया जिलों के 400 स्कूल भवनों का Rapid Visual Screening (RVS) प्राधिकरण द्वारा कराया गया है, तदनुसार शिक्षा विभाग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु परामर्श दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त "राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (NSSP)" के अंतर्गत मधुबनी जिलें में 2 तथा अररिया जिले में 1 स्कूल की Retrofitting हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation Ltd. (BSEIDC) को राशि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। कार्य प्रगति पर है।	शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्कूल भवनों के रेट्रोफिटिंग के संबंध में विभाग द्वारा यह बताया गया कि उन्हें इस संबंध में प्राधिकरण से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।	निदेश दिया गया कि विद्यालय भवनों के प्राधिकरण द्वारा कराए गए RVS के आधार पर दिए गए परामर्श के अनुसार शिक्षा विभाग अग्रेतर कार्रवाई करे।
		4. प्रत्येक वर्ष स्कूल सुरक्षा के महत्व के आलोक में जागरूकता/मॉकड्रिल कार्यक्रम का आयोजन–5वीं बैठक (दिनांक 25.6.2011)–एजेंडा–5.4	राज्य के सभी स्कूलों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्राधिकरण एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन वर्ष 2015 से किया जा रहा है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में लिए गए निर्णय के अनुसार अब इस कार्यक्रम का विस्तार Safe Saturday के रूप में प्राधिकरण एवं शिक्षा विभाग द्वारा किए जाने पर कार्य चल रहा है।	–	अनुपालित
6	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	बिहार डायरी में आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी/नारे का मुद्रण–9वीं बैठक दिनांक 28.3.2015 एजेंडा–7 (5)	प्राधिकरण के पत्रांक 1520 दिनांक 30.11.2015 के द्वारा नारा लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से प्राप्त 238 नारे सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को भेजे जा चुके हैं, लेकिन वर्ष 2016 एवं 2017 की बिहार डायरी में उनका मुद्रण नहीं हो सका है।	–	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को चयनित नारों के बिहार डायरी, 2018 में मुद्रण का आदेश दिया गया ।
7	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	विकास के विभिन्न सेक्टरों से संबंधित स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु	विभागीय पत्रांक 150 दिनांक 28.03.2017 के माध्यम से सूचित किया गया है कि नागरिक परिषद् की	–	निदेश दिया गया कि इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं

		उन्हें नागरिक कमेटी में नामित किया जाना–5वीं बैठक (दिनांक 25.6.2011) एजेंडा–5(7)	कमेटियों का गठन अभी तक नहीं हो सका है।		बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समन्वय के साथ इस पर फिर से विचार करें और संयुक्त रूप से इस निर्णय पर पहुँचें कि इसे नये रूप में कैसे लागू किया जाय क्योंकि नागरिक परिषद् के गठन का पूर्व का कॉन्सेप्ट अब औचित्यपूर्ण नहीं रह गया है। इस संबंध में आगे क्या करना है, कैसे करना है, आदि बातों पर पुनः नये तरीके से विचार कर कार्य किया जाये। यह भी निदेश दिया गया कि संबंधित विभागों द्वारा इस संदर्भ में विचारोपरांत किसी ठोस निर्णय पर पहुँचा जाए।
8	गृह विभाग	Revamping of fire services within the jurisdiction of urban local bodies (13वें वित्त विभाग की अनुशंसा सं0 10.171 का क्रियान्वयन) 7वीं बैठक दिनांक 24.5.2013 एजेंडा–6(V)	राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक के पत्रांक–2471 दिनांक 12.7.2017 के द्वारा क्रियान्वयन संबंधी जानकारी प्राप्त हुई है।	शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधीन अग्निशाम सेवा के विस्तार एवं सशक्तिकरण के संदर्भ में महानिदेशक, अग्निशाम सेवाएँ द्वारा बताया गया कि इस संबंध में जिला स्तर पर संगठन सुदृढ़ किया जा रहा है और गृह विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 13 नये अग्निशमन स्टेशनों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसे प्रमंडलीय शहरों में स्थापित किया जा रहा है। अग्निशमन सेवा के आधुनिकीकरण के लिए बेल्ट्रॉन के माध्यम से कंसलटेन्ट की नियुक्ति होने की बात भी महानिदेशक द्वारा बतायी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि 250 थानों एवं 28 अनुमंडलीय शहरों में अग्निशमन गाड़ियों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो गई है। ऑनलाईन	अनुपालित

				अनापत्ति प्रमाण–पत्र की व्यवस्था के संबंध में महानिदेशक द्वारा बताया गया कि इस संबंध में नगर विकास विभाग के साथ मिलकर साफ्टवेयर डेवलपमेंट की कार्रवाई की जा रही है।	
9	नगर विकास एवं आवास विभाग	Building Bylaws and Town & Country Planning Bylaws में आवश्यक संशोधन–5वीं बैठक दिनांक 25.6.2011 5 (1) (9वीं बैठक का एजेंडा–5(1))	प्राप्त सूचना के अनुसार नया Building Bylaws बिहार भवन उपविधि 2014 लागू किया जा चुका है। उपविधि में प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित भवनों के भूकम्परोधी निर्माण संबंधी मार्गदर्शिका को Appendix के रूप में समाहित कर लिया गया है।	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग ने बताया कि नये National Building Code, 2016 एवं Energy Conservation Building Code, 2017 के आलोक में "Bihar Building By-laws" में अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों को समावेशित करने के बिन्दु पर नगर विकास विभाग द्वारा आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है।	अनुपालित
10	भवन निर्माण विभाग	सरकारी भवनों के रेट्रोफिटिंग हेतु एक अंचल एवं चार कार्य प्रमंडलों का सृजन कर आवश्यक अभियंताओं एवं कर्मियों की नियुक्ति – 9वीं बैठक (दिनांक 28.3.2015) एजेंडा–5(i)/8 वीं बैठक (दिनांक 28.02.2014)–एजेंडा–5	विभागीय पत्रांक भवन/स्था0– 02–विविध–947/2016 2508 (भ) अनु0 दिनांक 25.03.2017 के द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक में पद सृजन संबंधी प्रस्ताव वापस लिए जाने संबंधी जानकारी प्राप्त हुयी थी।	सरकारी भवनों के रेट्रोफिटिंग हेतु एक अंचल एवं चार कार्य प्रमंडलों के गठन एवं इस हेतु अभियंताओं आदि के पद सृजन हो जाने की बात भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा बताते हुए कहा गया कि तत्काल इन नवसृजित पदों पर प्रशिक्षण प्राप्त अभियंताओं के पदस्थापन की अधिसूचना शीघ्र निर्गत कर दी जायेगी।	अनुपालित
11	सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।	जिला, पंचायत, थाना स्तर पर आपदा से बचाव हेतु जन जागरूकता/जन शिक्षा के तहत गोष्ठी/Mock Drills का आयोजन–7वीं बैठक दिनांक 24.5.2013 एजेंडा–6(1)	विभिन्न जिलों में NDRF/SDRF के माध्यम से जन–जागरूकता/ Mock Drills के कार्य कई वर्षों से किए जा रहे है। यह सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी।	–	अनुपालित
12	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1. कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना (ODMP)-5 वीं बैठक (25.06.2011) एजेंडा– 2(iii)	इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा Sensitization Workshop करके कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना (ODMP) बनाने की शुरुआत करायी गयी। 9 विभागों से कार्यालय आपदा योजना (ODMP) प्राप्त भी हुए। इस प्रक्रिया के दौरान यह महसूस किया गया कि विभिन्न विभागों में कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना (ODMP) विकसित करने की क्षमता का अभाव है। अतः इसके लिए विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद लेने की जरुरत है, जो कि विभिन्न विभागों के लिए कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना (ODMP) बनाने के साथ–साथ विभागों का क्षमता निर्माण भी करेंगे।	प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ किये गये "कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना" (Office Disaster Management Plan, ODMP), के कार्यान्वयन हेतु योग्य एजेंसी के चयन के लिये निविदा आमंत्रित किये जाने की बात उपाध्यक्ष द्वारा बतायी गई।	–
		2. सभी प्रमंडलों में आपदा प्रबंधन के संबंध में कार्यशाला–5 वीं बैठक (25.06.2011) एजेंडा– 2(v)	जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) के निर्माण की प्रक्रिया में सभी प्रमंडलों सहित सभी जिला मुख्यालयों में आपदा प्रबंधन पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है।	–	अनुपालित
		3. Seismological Observations Network की स्थापना–5 वीं बैठक (25.06.2011)एजेंडा–5(5), 6 वीं बैठक (08.05.2012) एजेंडा–5(iii)	इस परियोजना के अंतर्गत National Centre for Seismology (Min. of Earth Sciences, GoI) द्वारा Ground Noise Survey का कार्य कराया गया था जिसके आधार पर 10 Field Stations तथा एक Central Receiving Station का चयन कर लिया गया है। इनमें से 4 Field Stations का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। निर्माण कार्य भवन निर्माण निगम के द्वारा कराया जा रहा है। इस नेटवर्क के लिए विभिन्न श्रेणियों के कुल 18 पद स्वीकृत किए गए हैं। जिसमें प्रथम चरण में निदेशक (वैज्ञानिक E) एवं वरीय वरीय वैज्ञानिक (वैज्ञानिक D)	प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि शेष भवनों के निर्माण का कार्य निगम द्वारा प्रारंभ कराया जा रहा है। वैज्ञानिक E एवं D की नियुक्ति के उपरांत Seismological Equipments के अधिष्ठापन हेतु निविदा आमंत्रित की जाएगी ताकि भवनों के पूर्ण होते जाने पर Equipments का अधिष्ठापन होता जाए।	

		की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।		
	4. बाढ़ एवं भूकम्प के संबंध में चेतना रथ निकालने हेतु–5 वीं बैठक (25.06.2011) एजेंडा–5(6)	बाढ़ एवं भूकम्प सुरक्षा से संबंधित जन–जागरूकता के कई कार्यक्रम राज्य भर में किए जा रहे हैं। ऐसे में चेतना रथ निकालने की आवश्यकता नहीं रह जाती।	"सड़क सुरक्षा" के तहत प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे जन जागरुकता के कार्यक्रमों की बात उपाध्यक्ष द्वारा विस्तार से रखी गई। प्राधिकरण द्वारा नुक्कड़ नाटक, मोटर साईकिल रैली, पम्फलेट/बुकलेट के वितरण आदि के माध्यम से आम जन को सड़क सुरक्षा के विविध आयामों से परिचित कराते हुए उन्हें जागरूक करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।	निर्णय लिया गया कि जन–जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों को देखते हुए चेतना रथ निकालने की आवश्यकता अब नहीं रह जाती ।
	5. आपदा प्रशमन निधि–5 वीं0 बैठक (25.06.2011) एजेंडा–5(10)	आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना सं0 4904 दिनांक 06.11.2013 द्वारा निधि गठित कर दी गयी है तथा इस निधि में मुख्य मंत्री आपदा राहत कोष से 05 करोड़ की राशि प्राप्त है। निधि का उपयोग नियमावली के अनुसार किया जा रहा है।	–	अनुपालित
	6. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान (BSIDM) की स्थापना एवं उसके परिसर में भूकम्प/बाढ़/सुखाड़ इत्यादि के Centre of Excellence की स्थापना–5 वीं बैठक (25.06.2011) एजेंडा– 7.1		"बिहार राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान" (BSIDM) की स्थापना एवं इसके परिसर में भूकम्प/बाढ़/सुखाड़ आदि के लिए "सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस" की स्थापना के संदर्भ में आवश्यक कॉन्सेप्ट नोट प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को भेजे जाने की बात उपाध्यक्ष द्वारा बताई गई। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस कॉन्सेप्ट नोट की जाँच की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने की बात कहीं गई ।	–
	7. Free Earthquake Safety Clinic–6वीं बैठक (08.05.2012) एजेंडा– 5	NIT में स्थापित	प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि NIT पटना में स्थापित "Free Earthquake Safety Clinic" की तर्ज पर DRR रोड मैप के आलोक में इस वर्ष MIT मुजफ्फरपुर एवं पोलिटेकनिक, सीतामढ़ी में भी "Earthquake Safety	अनुपालित

			Clinic" स्थापित करने की योजना है।	
	8. DRR विशेषज्ञों का सभी DDMA/नगर पालिका/ निकाय में पदस्थापन हेतु DRR Cadre का गठन–6वीं बैठक (08.05.2012) एजेंडा–5 (i),7वीं बैठक एजेंडा–6(v), 9वीं बैठक एजेंडा–5(viii)	प्रथम चरण में राज्य के सभी 38 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों में DRR Cadre के गठन के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर सरकार की स्वीकृति हेतु आपदा प्रबंधन विभाग को संचिका सं0–1/2 स्था0/प्रा0–10/2017 द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2017 को भेजा गया है।	राज्य के सभी 38 जिलों में DRR कैडर के गठन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को प्रेषित प्रस्ताव की जाँच प्रक्रियाधीन होने की बात आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बतायी गई।	अलग कैडर के गठन के बिन्दु पर असहमति व्यक्त की गई और निदेश दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग राज्य के सभी 38 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के लिए उप समाहर्ताओं के नए पद स्वीकृत करे, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।
	9. मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा योजना (MSSP)– 7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा– 5, 8 वीं बैठक एजेंडा– 8, 9 वीं बैठक एजेंडा 5 (iv)	अनुपालित	उक्त निर्णय के संबंध में किये गए कार्यों का विस्तृत विवरण शिक्षा विभाग (क्र0सं0–5) की कंडिका के अंतर्गत दिया गया है।	अनुपालित
	10. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) पर मुख्यालय, जिला, प्रखंड स्तर पर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन–7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा 6 (i)	अभी तक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नहीं कराया जा सका है।	प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि DRR हेतु राज्य में विविध कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस परिस्थिति में फिल्म फेस्टिवल के आयोजन की आवश्यकता नहीं रह जाती।	निर्णय लिया गया कि पूर्व निर्णय के अनुपालन की अब आवश्यकता नहीं है।
	11. बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का राज्य में आयोजन–7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा 6 (ii)	प्रत्येक वर्ष जून माह में राज्य के सभी 38 जिलों एवं मुख्यालय पटना में "बाढ़ सुरक्षा सप्ताह" का अयोजन किया जा रहा है।	–	अनुपालित
	12. Satellite based flood Insurance cover - 7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा 6 (ii)	प्राधिकरण के स्तर से इस कार्य को नहीं किया जा सकता। सहकारिता विभाग द्वारा Crop Insurance के संबंध में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अतएव उक्त योजना में इसे समाहित करने पर सहकारिता विभाग विचार कर सकता है।	–	निर्णय लिया गया कि सहकारिता विभाग Crop Insurance के प्रचलित नियमों के आलोक में पूर्व निर्णय को लागू करने/न करने के बिन्दु पर विचार करे।
	13. भूकम्प सुरक्षा सप्ताह का राज्य में आयोजन –7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा 6 (iii)	प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में राज्य के सभी 38 जिलों एवं मुख्यालय पटना में भूकम्प सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2017 में भूकम्प	–	अनुपालित

	सुरक्षा सप्ताह के दौरान पटना में मौर्यालोक कॉम्पलेक्स, PMCH, विश्वेश्वरैया भवन, सिंचाई भवन तथा दो अपार्टमेंटस में Mockdrill का अभ्यास कराया गया है।		
14. बिहार राज्य में सुरक्षित भवनों के निरुपण एवं निर्माण हेतु मार्गदर्शिका/परिपत्र का प्रकाशन एवं वितरण–7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा 6 (iii)	इस कार्य को पूर्ण किया जा चुका है। मार्गदर्शिका के प्रकाशन एवं वितरित करने की प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है।	–	अनुपालित
15. अग्नि सुरक्षा सप्ताह एवं सड़क सुरक्षा सप्ताह–7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा 6 (iv)	इन दोनों सप्ताहों का आयोजन सरकार के संबंधित विभागों तथा अन्य हितभागियों (Stakeholders) के साथ मिलकर प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है।	–	अनुपालित
16. बिहार प्रशासनिक सेवा के सचिवालय एवं राज्य मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों का 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं क्षमता विकास'पर प्रशिक्षण- 7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा 6 (v)	बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बिपार्ड में प्रारंभ किया गया था। प्राप्त feedback एवं आवश्यकताओं का आकलन कर इस प्रशिक्षण को संशोधित पाठ्यक्रम के साथ चलाये जाने की योजना है।	प्राधिकरण द्वारा बिपार्ड के सहयोग से बिहार प्रशासनिक/पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं क्षमता विकास के प्रशिक्षण की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है।	प्रशिक्षण जारी रखने का निदेश दिया गया।
17. आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों को पूर्ण रुप देने हेतु सरकारी संस्थानों/शैक्षणिक संस्थानों/स्वयं सेवी संगठन/यू0एन0 की विभिन्न एजेंसियों, शोध संस्थानों से समन्वय की स्थापना-7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा 6 (v)	प्राधिकरण के विभिन्न कार्यक्रमों में विविध संगठनों/संस्थानों/यू0एन0 की विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।	–	अनुपालित
18. DDMA Guidelines-7 वीं बैठक (24.05.2013)एजेंडा 6 (v)	DDMAs के सुदृढ़ीकरण एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए DDMA Guidelines का निर्माण किया जा रहा है। Draft तैयार है, जिसे अंतिम रुप देने की कार्रवाई शीघ्र ही कर ली जाएगी।	–	प्रारूप को शीघ्र अंतिम रूप देने का निदेश दिया गया।
19. Revised Flood Hazard Atlas का	राज्य के 28 बाढ़ प्रवण जिलों के लिए	प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि 2012	अनुपालित

Mainstreaming of DRR एवं विकास की विभिन्न योजनाओं में उपयोग-7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा 6 (v)	प्राधिकरण द्वारा NRSC (National Remote Sensing Centre), हैदराबाद के सहायोग से Flood Hazard Atlas तैयार कर उसकी एक–एक प्रति सभी 38 जिलों एवं संबंधित विभागों भेजी गयी है।	तक के बाढ़ की स्थिति को शामिल कर तैयार किये गये Flood Hazard Atlas को वर्ष 2017 तक की बाढ़ की स्थिति के अनुसार अपडेट करने की कार्रवाई हेतु National Remote Sensing Centre हैदराबाद से संपर्क किया जा रहा है।	
20. Bihar State Disaster Management Institute at Patna के लिए जमीन का आवंटन – 7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा 6 (v) 8 वीं बैठक एजेंडा–10, 9 वीं बैठक एजेंडा– 5 (vi)	जमीन आवंटन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर पर कार्रवाई हो रही है।	Bihar State Disaster Management Insitute, Patna की स्थापना/इसके लिए कर्मियों आदि की व्यवस्था हो जाने पर तत्काल संस्थान को किसी सरकारी भवन अथवा किराये के भवन में प्रारम्भ किये जाने के बिन्दु पर बैठक के दौरान चर्चा हुई।	संस्थान की स्थापना के उपरांत जमीन की व्यवस्था हेतु विचार किया जाएगा।
21. प्राधिकरण अंतर्गत सलाहकार समितियाँ–8 वीं बैठक(28.02.2014) एजेंडा 9 (ज)	प्राधिकरण द्वारा 5 सलाहकार समितियों का गठन किया जा चुका है। ये सलाहकार समितियाँ भूकंप, बाढ़, मानव जनित आपदा, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा मानव संसाधन विकास, क्षमता वर्धन एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में गठित की गयी हैं।	प्राधिकरण द्वारा प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा मानव संसाधन विकास, क्षमतावर्द्धन एवं प्राशिक्षण आदि के तथ्यों पर अन्य संबंधित विभागों/ एजेंसियों से सलाह करने एवं उनके विचारों को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समाविष्ट करने के उदेश्य से गठित सलाहकार समितियों का गठन ।	समितियों के पुनर्गठन का निदेश दिया गया ।
22. City Disaster Management Plan (CDMP) –9 वीं बैठक (28.03.2015) एजेंडा 7 (2)	प्राधिकरण द्वारा सभी 11 नगर निगमों वाले शहरों में CDMP निर्माण हेतु एजेन्सियों के चयन कर कार्य प्रारंभ किया गया है। एजेन्सियों के चयन के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। निविदा प्रक्रिया पूरा कर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।	10वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में "नगरीय आपदा प्रबंधन योजना(City Disaster Management Plan, CDMP)"के अर्न्तगत प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी 12 नगर निगम वाले शहरों के लिए "नगरीय आपदा प्रबंधन योजना" (CDMP) निर्माण हेतु सक्षम एजेंसी के चयन के लिए निविदा आमंत्रित किया गया है एवं अब निविदा के तकनीकी/वित्तीय मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है।	आगे की कार्रवाई जारी रखने का निदेश दिया गया।

एजेंडा संख्या 2 : **प्राधिकरण के वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के प्रस्तावित बजट की स्वीकृति** (विवरण परिशिष्ट पर)

क्र0	प्रस्ताव	निर्णय	कार्यान्वयन विभाग/एजेंसी
1	वर्ष 2017–18 का प्रस्तावित बजट ₹31,92,86,000/–की स्वीकृति (बजटीय उपबंध+ आकस्मिकता निधि/द्वितीय अनुपूरक के अंतर्गत प्रस्तावित राशि)	विज्ञापन मद की प्रावधानित राशि ₹85,75,247/–घटाकर शेष राशि ₹31,07,10,753/–की स्वीकृति प्रदान की गयी।	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/आपदा प्रबंधन विभाग/वित्त विभाग।
2	वर्ष 2018–19 का प्रस्तावित बजट ₹39,26,00,000/– की स्वीकृति	विज्ञापन मद की प्रावधानित राशि ₹2,13,90,000/–घटाकर शेष राशि ₹37,12,10,000/–की स्वीकृति प्रदान की गयी।	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/आपदा प्रबंधन विभाग/वित्त विभाग।
3		1. इसी क्रम में निर्णय लिया गया कि पूर्व वर्षों के विज्ञापन मद में लंबित विपत्रों का भुगतान सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के बजट से किया जाएगा। अतएव प्राधिकरण सभी लंबित विपत्रों को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को भुगतान हेतु उपलब्ध करावें।	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
		2. यह भी निर्णय लिया गया कि अब से प्राधिकरण के सभी विज्ञापन/एडवाइजरी आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रकाशनार्थ भेजे जाएँगे। इन विज्ञापनों/एडवाईजरी के प्रकाशन संबंधी विपत्रों के भुगतान हेतु सरकार की विज्ञापन नीति के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग सीधे सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को आवश्यक निधि उपलब्ध कराएगा।	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/आपदा प्रबंधन विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

एजेंडा संख्या 3 : **बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–30) के अनुसरण में अगले 2–3 वर्षों में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा सकने वाले महत्वपूर्ण कार्यों का प्रस्तुतीकरण ।**

निर्णय :– प्रस्तुतीकरण स्थगित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष ने निदेश दिया कि प्रस्तुतीकरण हिन्दी में तैयार हो तथा उसमें प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दावली (acronyms) के स्थान पर पूरी शब्दावली अंकित हो ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तुतीकरण हेतु अलग से तिथि/समय निर्धारित की जाएगी।

एजेंडा संख्या 4 : **बिहार राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–30) के अनुसरण में विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा–आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा।**

निर्णय :– स्थगित। एजेंडा 3 में लिए निर्णय के अनुसार भविष्य में समीक्षा की जाएगी।

एजेंडा संख्या 5 : अन्यान्य

क्र0	प्रस्ताव	निर्णय	कार्यान्वयन विभाग/एजेन्सी
1	राज्य सरकार के निदेशानुसार प्राधिकरण द्वारा भूकम्परोधी निर्माण संबंधी प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत सभी अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार अभियंताओं आदि की प्रतिनियुक्ति में विभागों द्वारा प्रायः विलंब कर दिया जाता है एवं कतिपय प्रतिनियुक्त अभियंता भी प्रशिक्षण में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित हो जाते हैं। इससे प्रशिक्षण सत्र सुचारू रूप से चलाने में कठिनाई हो जाती है। अतएव सभी विभागों को निदेशित किया जा सकता है कि वे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार ससमय प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत किया करें एवं प्रतिनियुक्त अभियंताओं की प्रशिक्षण सत्रों में ससमय उपस्थिति सुनिश्चित किया करें।	माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष ने सभी कार्य विभागों को प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार अभियंताओं की ससमय प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु निदेशित किया। साथ ही प्राधिकरण को निदेशित किया कि प्रशिक्षणों में अनुपस्थित हो जाने वाले अभियंताओं की सूचना संबंधित कार्य विभागों को उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाए।	सभी कार्य विभाग/ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

अंत में बैठक की कार्यवाही सचिव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई ।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

प्राधिकरण की प्रमुख गतिविधियां - 2017

1. लू/गर्म हवाओं के जोखिम न्यूनीकरण की कार्ययोजना बनाने हेतु कार्यशाला

हाल के वर्षों में गर्म हवाएं प्रमुख मौसम संबंधी खतरों के रूप में उभरी है जिससे संभवत: बाढ़ और चक्रवाती तूफानों की तुलना में अधिक संख्या में मृत्यु हो सकती है। आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है। विश्वस्तर पर वर्ष २०१६ सबसे गर्म वर्ष था। पिछले कुछ सालों से भारत में भीषण गर्मी की तरंगों के कारण हताहतों की संख्या असमान्य रूप से बढ़ी है। अधिकांश मौतों की खबरे आंध्रप्रद. श, तेलंगाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिसा और बिहार से प्राप्त हुई। बिहार में इसकी तीव्रता का असर मानव स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से आँका गया है जिसकी चिन्ता के मद्देनजर 05 मई 2017 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार तथा यूनिसेफ के संयुक्त तत्त्वाधान में "Heat Acation Plan" बनाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उदघाटन तत्कालीन आपदा मंत्री प्रो० चन्द्रशेखर के द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, स्वयं सेवी संस्थाओं के लोगों को आमंत्रित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य श्री विनोद मेनन एवं श्री के० एम० सिंह उपस्थित हुए। विषय विशेषज्ञों के अतिरिक्त विभिन्न जिलों के आपदा प्रभारी, वार्ड सदस्य, नगर निगम, नगरपालिका तथा मीडिया के लोग भी आमंत्रित थे।

गर्म हवाओं एवं लू से होने वाली हानियों से बिहार के लोगों को बचाने तथा लोगों को बचाव के लिए तैयार करने हेतु Standard Operating Procedure बनाना ही "Heat Action Plan" का उद्देश्य है। इस कार्य योजना में विभिन्न विभागों एवं हितधारकों को इस विशेष आपदा से बचाने के लिए कार्यवाही करने हेतु मार्गदर्शन दिया जाना है। Heat Wave पर आधारित SOP के जरिये संबंधित विभागों को विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन, समन्वयन तथा मूल्यांकन के लिए व्यापकता प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

2. बाढ़ सुरक्षा सप्ताह
(1-7 जून)2017

बिहार के अत्यधिक बाढ़ प्रवणता के कारण सरकार ने निर्णय लिया है कि जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस की क्षमता वृद्धि के लिए राज्य भर में प्रत्येक वर्ष १-७ जून तक के एक सप्ताह को बाढ़ सुरक्षा सप्ताह" के रूप में मनाया जाए। इसी क्रम में वर्ष २०१७ को भी १-७ जून की अवधि में "बाढ़ सुरक्षा सप्ताह" मनाया गया। प्रत्येक वर्ष राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ सुरक्षा सप्ताह में जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती है।

इसी क्रम में राज्य भर में "बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2017" पर निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किया गया है:

(I) आपदा प्रबंधन में लैंगिक मुद्दों पर कार्यशाला का आयोजन दिनांक :- 01-06-2017

किसी भी आपदा में समाज का अतिसंवेदनशील वर्ग स्त्री, बच्चे एवं वृद्ध होते हैं। स्त्रियाँ हमारे समाज की रीढ़ होती हैं, जिन पर परिवार का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। परन्तु आपदा के समय पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करते-करते स्त्रियाँ आपदा में शोषण एवं पीड़ा की शिकार हो जाती हैं। इसी प्रकार से समाज का एक वर्ग ऐसा भी है, जिनके पीड़ा एवं चुनौतियों को समझने की जरूरत है। ऐसे वर्ग को ट्रान्सजेंडर के नाम से जाना जाता है। ट्रान्सजेंडर समुदाय के लोगों ने अभी तक आपदा प्रबंधन के मंच से आपदा के समय पीड़ा एवं चुनौतियों को नही दर्शाया है।

अतः यह अतिआवश्यक है कि आपदा प्रबंधन में लैंगिक मुद्दों को उजागर किया जाए, जिससे समाज के वंचित वर्ग की समस्या को समझा जाए ही नहीं बल्कि उनके समस्याओं का निराकरण भी किया जाए। आपदा की समस्या (जोखिम) को समझने एवं आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु लैंगिक मुद्दों पर विमर्श हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी ने किया।

श्री विजय कुमार चौधरी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि आपदा का सर्वाधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। महिलाएं परिवार का केंद्र होती हैं। ऐसे में आपदा के दौरान उनका ख्याल रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान महिलाओं के साथ बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही किन्नरों (ट्रांसजेंडरों) को भी सुविधाएं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाढ़, सुखाड़ और अन्य आपदा के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने की दिशा में बेहतर काम हो रहा है। राज्य में बाढ़ के कारण गंगा सहित अन्य नदियों में गाद बढ़ रहा है। गाद की समुचित निकासी नहीं होने से बाढ़ की समस्या है।

पद्मश्री सुधा वर्गीज ने कोसी के कुसहा हादसा के अनुभवों को साझा करते हुए आपदा के दौरान निजता और सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कार्यशाला में सदस्य यूके मिश्र, आयुष के महानिदेशक सत्येंद्र, शंकर दयाल और मधुबाला के अलावा तकनीकी सत्र में गैर सरक. ारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने विचार रखे। संचालन रेशमा प्रसाद ने किया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यास जी ने कहा कि लोगों तक राहत पहुंचाने और उसके जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जिलों में आपदा योजनाओं में ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया जाएगा। अभी तक लैंगिक मुद्दों के नाम पर केवल महिलाओं की समस्याओं को संबोधित किया जाता था, यह पहली बार है जब ट्रांसजेंडर को इसमें शामिल किया गया है।

इस अवसर पर विभिन्न महिला एवं ट्रांसजेंडरों संगठनों द्वारा प्रस्तुति दिया गया है। इस अवसर पर Group Work का आयोजन किया गया। वहाँ उपस्थित लोगों के बीच तीन मुद्दों को रखा गया।

इस कार्यक्रम से बाढ़ आपदा के समय महिलाओं की जरूरतों को समझने एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भागीदारी को बताया गया। Minimum Initial Service Package (MISP) को विस्तार से बताया गया। ट्रान्सजेंडर समुदाय के लोगों ने बाढ़ आपदा के समय होने वाली भेदभाव एवं पीड़ा को बताया तथा निराकरण पर महत्वपूर्ण सुझाव दिये। बाढ़ आपदा में महिलायों की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया गया। इस आपदा के समय बच्चियों/लड़कियों के trafficking के गंभीरता को बताया गया तथा समाज में आपदा के समय महिलाओं की स्थिति को बताया गया। Group Work के आधार पर आये विचारों पर कार्य योजना का निर्माण किया जा रहा है।

(II) NDRF/SDRF के सहयोग से पटना दियारा के पतलापुर में Mock drill का आयोजन दिनांकः- 03-06-2017

क्षमता निर्माण की कोशिशें मुख्य तौर पर माँग आधारित समुदाय और संदर्भ की जरूरतों के हिसाब से होती है। जोखिम को कम करने का टिकाऊ लक्ष्य हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समुदाय की भागीदारी और सशक्तिकरण की जरूरत होती है। भागीदारी और सशक्तिकरण के लिए समुदाय के बीच बाढ़ आपदा से बचाव पर पटना दियारा के पतलापुर गाँव में NDRF/SDRF के सहयोग से mock drill का आयोजन किया गया। दियारा का पतलापुर गाँव प्रति वर्ष बाढ़ आपदा से प्रभावित होता है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि , बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्री व्यास जी ने कहा कि किसी भी आपदा का प्रथम रिस्पांडर समुदाय होता है और समुदाय में रहने वाली महिलाएँ, बच्चे और वृद्ध अधिक प्रभावित होते हैं। उन्होनें कहा कि बाढ़ आपदा में जोखिम की पहचान कर न्यूनीकरण करना अति आवश्यक होता है।

राज्य में पहली बार बाढ़ सुरक्षा सप्ताह पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के सहयोग से समुदाय के बीच जा कर बाढ़ से सुरक्षा हेतु mock drill का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर SDRF द्वारा बाढ़ के समय सर्पदंश से बचाव पर नाट्य प्रस्तुति दिया गया। इसी प्रकार से NDRF द्वारा प्राथमिक चिकित्सा पर किए जाने वाले विभिन्न चरणों को बताया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बाढ़ में Human rescue और Animal rescue का प्रदर्शन रहा।

गाँव के समुदाय में पशुधन महत्वपूर्ण पूंजी होती है, जो बाढ़ में पानी के तेज धार में बह सकती है। इस महत्वपूर्ण पूंजी को बचाना और बाढ़ के पानी से evacuation हेतु Mockdrill को NDRF/SDRF द्वारा गंगा नदी में किया गया। कार्यक्रम में पतलापुर गाँव के करीब 500 लोगों ने भाग लिया।

(III) Developing Strategy and Action Plan for Safe Boat Transportation पर कार्यशाला

दिनांक 06-06-2017 को Developing Strategy and Action Plan for Safe Boat Transportation विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री के.एम. सिंह, आई.पी.एस (से. नि.), पूर्व सदस्य, एन. डी. एम. ए. थे।

इस कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के द्वारा नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम/कमी के लिए रणनीति एवं कार्य योजना विकसित करना था।

श्री के.एम. सिंह, ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नौका दुर्घटनाओं से बचाव में मौसम पूर्वानुमान तंत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि नावों को सुनिश्चित घाटों से ही चलाया जाना चहिये एवं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रमुख गतिविधियों को चिन्हित कर उनका क्रियान्यवयन सुनिश्चित किया जाना चहिये। इस अवसर पर उन्होंने नौका सुरक्षा के सम्बन्ध में एन. डी. एम. ए. द्वारा विकसित दिशानिर्देश के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने नौका सुरक्षा हेतु नियमित रूप से अभ्यास किये जाने के महत्व पर जोर दिया।

श्री व्यास जी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने कहा कि लोगों में जनजागरूकता, नियमों के अनुपालन और छोटी-छोटी सावधानियों से हम सुरक्षित नौका परिवहन कर सकते है। उन्होंने कहा की नौका दुर्घटनाओं में डूबने वालों को अनुदान देना समस्या का समाधान नहीं है। नावों में लदान क्षमता एवं Danger Line का चिन्हीकरण एवं अनुपालन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

डॉ. सतेंद्र, महानिदेशक, आयुष, स्वास्थ्य विभाग, श्री ए. के. अम्बेडकर, ए. डी.जी., सिविल डिफेन्स, श्री अनिरुद्ध कुमार, अपर .सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, के श्री हर किशोर राय, होमगार्ड कमांडेंट, श्री ए. के. मिश्रा, निदेशक, IWAI, पटना, कैप्टन अशोक कुमार राय, प्रधानाचार्य, NINI, पटना आदि ने नौका सुरक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत किया। श्री सांवर भारती, सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने कार्यशाला में शामिल हुए गणमान्य अतिथियों एवं अन्य प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया।

(IV) ठनका से बचाव पर कार्ययोजना के निर्माण पर कार्यशाला दिनांक:-07-06-2017

दिनांक 07-06-2017 को होटल पाटलीपुत्र अशोक , बीरचंद पटेल मार्ग, पटना, में ठनका के रोकथाम एवं बचाव पर कार्ययोजना के निर्माण पर कार्यशाला का आयोजन किया गय। ठनका राज्य में एक गंभीर प्राकृतिक आपदा बन कर उभर रहा है जो मई से सितम्बर के महीनों में मॉनसून के आगमन पर प्रारम्भ होता है। पिछले वर्ष ठनका से लगभग 106 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार से २०१७ में अबतक 157 लोगों की जाने चली गई। इस प्रकृतिक आपदा से राज्य के लगभग 21 जिले (पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, वैशाली, समस्तीपुर,छपरा, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, बांका, गया, मधेपुरा, जहानाबाद, सुपौल, पूर्णिया, जमुई, लखीसराय तथा नवादा) प्रभावित होते हैं। इस प्रकृतिक आपदा में होने वाले आकाशीय प्रक्रिया को समझना अति आवश्यक है क्योकि

ठनका जैसे प्राकृतिक आपदा का प्रभाव पिछले कुछ वर्षो में तीव्र होता जा रहा है। ठनका के आने के पूर्व लोगों को बचाव पर जागरूक होना आवश्यक है।

यह कार्यशाला ठनका के दौरान होने वाली आकाशीय प्रक्रिया को समझने, जन-माल के क्षति को कम करने हेतु जागरूकता एवं सलाह के निर्माण, ठनका के आने के पूर्व Early Warning की संभावना तथा ठनका के कार्य योजना (Action Plan) के निर्माण के लिए आयोजित की गयी थी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मा. मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, प्रो. चंद्रशेखर थे। इस अवसर पर मा. मंत्री ने राज्य में ठनका के प्रभावों पर चिन्ता प्रकट किया तथा इससे होने वाली जानमाल की क्षति को कम करने के लिए Early Warning System की जरूरत को बताया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी ने ठनका के लिए Early Warning को समझने एवं warning को लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया।

उन्होंने कहा की प्राधिकरण द्वारा ठनका के आने के पूर्व 'क्या करे और क्या न करें' पर एडवाइजरी जारी किया जाता है, परन्तु, इसे समुदाय तक पंहुचाया जाना अति आवश्यक है। विभिन्न आपदाओं से बचाव की सलाह लोगों तक पहुंचाने के लिए प्राधिकरण द्वारा mass messaging किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम मे राज्य के 20 जिलों (ठनका से अति प्रभावित) के अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन), अंचलाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम में विषय विषेशज्ञ IITM (Indian Institute of Tropical Meteorology) Pune से डॉ वि०वि० गोपालकृष्णन, वैज्ञानिक, झारखण्ड एवं आंध्रा प्रदेश के ठनका के सलाहकार, श्री संजय श्रीवास्तव तथा भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक, डॉ एस० सेनगुप्ता ने भी भाग लिया।

‘’

3. सड़क सुरक्षा सत्याग्रह

बिहार में सड़क दुर्घटनाएं काफी संख्या में प्रतिवेदित हो रही हैं । नई सडकों के निर्माण एवं तेज गति वाली गाड़ियों की बढ़ती संख्या, सड़कों पर तीव्र गति से वाहनों का परिचालन आदि से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हम सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते। सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार प्रसार हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रथम चरण में सड़क सुरक्षा सत्याग्रह का आयोजन दिनांक 9 जुलाई 2017 को किया गया । इस अभियान के अंतर्गत जे. पी. सेतु, सारण -भोजपुर वीर कुंवर सिंह सेतु पर सहित अनेक स्थानों पर सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार सामग्रियाँ लगाई गयीं। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान दल पटना के इको पार्क से प्रारंभ होकर जे. पी. सेतु होते हुए परमानन्दपुर, नया गाँव, शीतलपुर, दीघवारा, डोरीगंज, सारण -भोजपुर वीर कुंवर सिंह सेतु, बबुरा एवं कोईलवर होते हुए पटना लौटा। सत्याग्रह के दौरान अनेक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक एवं प्रचार सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया तथा जन जागरूकता हेतु समुदाय, चालकों एवं यात्रियों के बीच जागरूकता सामग्रियों का वितरण किया गया ।

द्वितीय चरण में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान दिनांक 19 नवंबर 2017 पटना के संजय गाँधी जैविक उद्यान के गेट नं. 2, पटना से प्रारंभ होकर हाजीपुर रेलवे स्टेशन, भगवानपुर, गोरौल, बैरिया, मुजफ्फरपुर पथ पर आयोजित किया गया । तृतीय चरण में सड़क सुरक्षा सत्याग्रह का आयोजन 7 जनवरी 2018 को पटना, सम्पतचक धनरुआ, मसौढ़ी, जहानाबाद एवं मखदुमपुर पथ पर किया गया । चतुर्थ चरण में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन 11 मार्च 2018 को पटना, खुशरूपुर, बख्तियारपुर, बाढ़, पंडारक, मोकामा पथ पर किया गया ।

उल्लिखित विभिन्न पथों पर आयोजित किये गए सड़क सुरक्षा सत्याग्रह में सत्याग्रह दल के सदस्यों ने समुदाय के साथ-२, पदयात्रियों, दो एवं चार पहिया वाहनों के चालकों एवं यात्रियों आदि के को जागरूकता के तरीकों जैसे नुक्कड़ नाटक, अनुशासित बुलेट राइड, जागरूकता सामग्री का वितरण के साथ बातचीत के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन हेतु संवेदित किया। सड़क सुरक्षा सत्याग्रह के आयोजन में विभिन्न हितधारकों जैसे SDRF, निर्माण कला मंच तथा ब्रिगेड ऑफ़ बुल्स राइडर्स, बिहार, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन एवं विभिन्न स्वयंसेवी संगठनो द्वारा अपना सहयोग प्रदान किया गया।

4. मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय सुरक्षा दिवस

किसी भी आपदा के समय सर्वाधिक प्रभावित होने वालों में बच्चे सबसे पहले आते हैं। यदि बच्चों को आपदाओं के प्रति जागरूक बनाकर उन्हें आपदा प्रबंधन एवं आपदाओं से बचने की जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तो वे अपने साथ-साथ अपने परिवार, समुदाय एवं समाज को भी आपदाओं से बचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इन्हीं उद्देश्यों के साथ वर्ष 2015 में माननीय मुख्यमंत्री बिहार-सह-अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (MSSP) का शुभारंभ किया गया। वर्ष 2015 में पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गयी कि पूरे राज्य में 1-15 जुलाई तक विद्यालय सुरक्षा पखवारा मनाया जाएगा। इस पखवारे के दौरान राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आपदाओं एवं उनसे बचने की जानकारी प्रदान की जाएगी।

वर्ष 2015 में प्रारम्भ हुए मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 2017 में भी पूरे राज्य में कार्यक्रम को आयोजित किया गया। 1 से 15 जुलाई के मध्य विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा एवं 4 जुलाई को विद्यालय सुरक्षा दिवस आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए प्राधिकरण द्वारा एक माह पूर्व से ही तैयारी प्रारम्भ कर दी जाती है। सर्वप्रथम NDRF/SDRF एवं अग्निशमन सेवा के प्रशिक्षकों द्वारा सभी जिलों के लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार किये जाते हैं। तत्पश्चात् मास्टर ट्रेनर्स द्वारा संबंधित जिलों में प्रखण्डवार प्रशिक्षक तैयार किये जाते है। उसके पश्चात् प्रखण्ड स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा प्रत्येक विद्यालय से दो शिक्षक/शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया जाता है अन्तिम चरण में विद्यालयों के प्रशिक्षित शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा विद्यालय के छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षित कर विद्यालय सुरक्षा पखवाड़े के दौरान मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2017 में भी एक माह पूर्व से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाकर विद्यालय स्तर तक मॉक ड्रिल एवं प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया गया। प्राधिकरण के पदाधिकारियों द्वारा पूरे पखवाड़े के दौरान इस कार्यक्रम का अनुश्रवण (Monitoring) किया गया।

5. जलवायु परिवर्तन के कारण शहरों की आपदाओं के प्रति बढ़ती नाजुकता पर कार्यशाला

शहरों में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते दबाव को देखते हुए दिनांक 27-28 जुलाई 2017 को पटना में एक कार्यशाला का आयोजन गोरखपुर एनवायरन्मेण्टल एक्शन ग्रुप, गोरखपुर, यूनीसेफ एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से किया गया। कार्यशाला का विषय जलवायु परिवर्तन के कारण, विशेषकर, बच्चों एवं महिलाओं के सन्दर्भ में पटना शहर की बढ़ती नाजुकता का आकलन तथा शहर का लचीलापन बढ़ाने हेतु रणनीति विकसित करना था।

कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि ऐतिहासिक पटना शहर मुख्य रूप से आग, बाढ़, भूकम्प एवं डूबना जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है। इसके साथ ही नये बसे क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना जैसी मानवजनित आपदाएं भी बहुत बड़े पैमाने पर घटित हो रही हैं। खास बात यह है कि पटना शहर एवं उसके आस-पास बहुत तेजी से अव्यवस्थित विकास हो रहा है, जिस कारण आपदाओं के दौरान रिस्पान्स कार्य करने में भी काफी कठिनाई आती है। पिछले वर्ष जाड़े के दिनों में एक स्लम क्षेत्र में आग लग गयी, परन्तु वह बस्ती इतने अव्यवस्थित ढंग से बसी हुई है कि वहां तक आग बुझाने वाली गाड़ियां नहीं पहुंच पाई, और अगलगी एक भयंकर आपदा में बदल गयी और एक गर्भवती महिला की मौत हो गयी। अतः आवश्यक है कि शहर की सामाजिक एवं भौगोलिक स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी के बाद आपदाओं के अनुसार उसके समाधान के लिए रणनीति निर्धारण की बात की जाये तो औचित्यपूर्ण होगा। साथ ही शहर का विकास मास्टर प्लान के अनुसार किया जाये तो आपदाओं को कम करने में सहायता मिलेगी।

पटना सिटी डेवलपमेण्ट प्लान को सहायता प्रदान करने हेतु इस रणनीति निर्धारण करने में सहभागी पद्धति का उपयोग किया गया, जिसमें अग्निशाम सेवा, आपदा प्रबन्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पी०एच०ई०डी० विभागों सहित शहर की स्वयंसेवी संगठनों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस पद्धति से भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक बदलाव की दृष्टि से पटना शहर के वार्डों को चिन्हित कर तद्नुसार रणनीति निर्धारण की प्रक्रिया अपनायी गयी।

6. छठ पर्व 2017 के अवसर पर पटना जिला के घाटों पर सम्पूर्ण व्यवस्थाएं, विधि व्यवस्था संधारण एवं अन्य बिन्दुओं पर दंडाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों का उन्मुखीकरण

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिनांक २३ अक्टूबर २०१७ को ज्ञान भवन, पटना में पटना जिला के घाटों पर सम्पूर्ण व्यवस्थाएं विधि व्यवस्था संधारण एवं अन्य बिन्दुओं पर दंडाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों का उन्मुखीकरण किया गया।

प्राधिकरण द्वारा इस अवसर पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संभावित खतरों का चिन्हीकरण BSDMA द्वारा छठ पर्व २०१६ के दौरान राज्य में हुई मौतों के अध्ययन के प्रमुख तथ्यों के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक सुझावों पर प्रकाश डाला गया।

7. सोनपुर मेला 2017

सोनपुर मेला 2017 में बिहार राज्य आपदा प्रबधंन प्राधिकरण द्वारा स्टॉल लगाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न आपदाओं के बारे में जन-जागरूकता फैलाना था। प्राधिकरण द्वारा अपने सहभागियों सहित लोगों को आपदाओं (बाढ़, भगदड, आग, भूकंप, सडक सुरक्षा आदि) के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया। स्टॉल का उद्देश्य निम्नानुसार तय किया गया था:

- विभिन्न प्रकार की आपदाओं एवं उनसे बचने के उपायों के बारे में समुदाय को शिक्षित और जागरूक करना।
- लोगों को शिक्षित करना कि ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने पर क्या करें और क्या ना करें।
- सिविन डिफेन्स, अग्निशाम सेवा, एस.डी.आर.एफ. व एन.डी.आर.एफ इत्यादि द्वारा विभिन्न तकनीकों के बारे में लोगों को सूचित करना।
- लोगों को शिक्षित करना कि सर्पदंश, वज्रपात एवं डूबने से बचने के लिए क्या करे और क्या ना करें।

प्राधिकरण ने अपने विभिन्न सहभागियों सहित प्रदर्शनी एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से इस कार्य को पूर्ण किया। मेले में जगह-जगह पर अग्निशाम सेवा, सिविल डिफेन्स एवं निर्माण कला मंच द्वारा विभित्र आपदाओं से कैसे बचें, आपदा के समय क्या करें और क्या ना करें पर लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक दिखाए गए।

प्राधिकरण के स्टॉल में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, सिविल डिफेन्स, ऑक्सफैम एवं अग्निशाम सेवा द्वारा विभिन्न आपदाओं में बचाव हेतु उपयोग में लाने वाले उपकरणों एवं उपायों की प्रदर्शनी लगायी गयी थी। सभी हितधारी जन जागरूकता के कार्य में सहायक रहे। प्राधिकरण के स्टॉल में पूरे एक महीने देश-विदेश से आये हुए प्रर्यटकों का ताँता सुबह से रात्रि तक लगा रहता था।

प्राधिकरण का यह प्रयास कि जन-जागरूकता के माध्यम से सोनपुर मेले में लोगों को आपदाओं के बारे में बताना एवं उनसे जूझने की तैयारी कैसे करें के बारे में जागरूक करना, सफल रहा । विभिन्न वर्ग, उम्र एवं तबके के लोगों ने आपदा के विषय में जानकारी प्राप्त की। प्राधिकरण को सबसे अच्छी प्रदर्शनी तथा कॉन्सेप्ट के लिए लगातार दूसरी बार द्वितीय सम्मान दिया गया।

8. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 11वां स्थापना दिवस

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 11वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन ६ नवम्बर, 2017 को अधिवेशन भवन में किया गया। स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। समारोह का थीम सुरक्षित निर्माण रखा गया था जिसके संबंध में तकनीकी सत्र में विशेष विमर्श किया गया।

प्राधिकरण की प्रमुख गतिविधियां - 2018

1. भूकंप सुरक्षा सप्ताह

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष १७-२१ जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह २०१८ का आयोजन किया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष २०१२ में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष उक्त तिथियों को राज्य भर में भूकम्प सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है।

बिहार राज्य भूकम्प की दृष्टि से बेहद संवेदनशील मान जाता है। राज्य के ८ जिले भूकम्प जोन V, २४ जिले जोन IV एवं शेष ६ जिले जोन III के अन्तर्गत आते हैं। अतएव राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक वर्ष दिनांक १७ से २१ जनवरी तक "भूकंप सुरक्षा सप्ताह" के रूप में मनाते हुए जनमानस में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भूकंप के प्रति सजगता एवं उससे निपटने के लिए जनमानस की तैयारी सुनिश्चित की जाए। तद्नुसार इस पूरे सप्ताह के दौरान अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के अलावा मॉकड्रिल पर विशेष बल दिया जाता है।

भूकम्प सुरक्षा सप्ताह मनाने हेतु राज्य स्तर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य भर में भूकम्प सुरक्षा सप्ताह मनाने की तैयारी के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, जिलों एवं अन्य हितभागियों के साथ बैठक का आयोजन जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्राधिकरण के सभा कक्ष में उपाध्यक्ष श्री व्यास जी की अध्यक्षता में किया गया। उक्त बैठक में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गयी।

भूकम्प सुरक्षा सप्ताह - 2018
राज्य स्तरीय विभिन्न कार्यक्रमों की एक झलक

15 जनवरी 2018

भूकंप सुरक्षा सप्ताह-2018 का आगाज मगध महिला कॉलेज, पटना के प्रांगण से किया गया। भूकंप की स्थिति में 'क्या करें क्या न करें' की जानकारी मॉकड्रिल के माध्यम से कॉलेज के छात्राओं को दी गयी। सर्वप्रथम एन०डी०आर०एफ० द्वारा सायरन बजाकर वास्तविक भूकंप की स्थिति का संकेत दिया गया जिसके बाद क्लास में छात्राओं द्वारा 'झुको, ढको एवं पकड़ों का अभ्यास किया गया। भूकंप समाप्त होने के संकेत के रूप में फिर अगले सायरन पर छात्राएँ क्रमबद्ध तरीके से क्लास रूम एरिया से खुले मैदान (एसेम्बली एरिया) में एकत्रित हुई। वहाँ प्रत्येक कक्षा के पूर्व निर्धारित ग्रुप लिडर द्वारा हेड काउन्टिंग कर यह सुनिश्चित किया गया कि सभी छात्राएं भूकंप के उपरांत सुरक्षित रूप से बाहर निकल चुकी हैं। मॉकड्रिल के अतिरिक्त मगध महिला कॉलेज सहित इको पार्क, सगुना मोड़ तथा संजय गाँधी जैविक उद्यान के गेट नं० 1 पर आपसदारी कलामंच के कलाकारों द्वारा गीत-संगीत एवं नुक्कड़ नाटक का मंचन कर भूकंप से सुरक्षा हेतु जागरूकता का संदेश जनमानस को दिया गया।

16 जनवरी 2018

भूकम्प संरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकरियों का 'आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण' विषय पर व्यावसयिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त अरण्य भवन परिसर में भूकम्प से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल तथा आपसदारी कलामंच के कलाकारों द्वारा भूकंप से बचाव हेतु गीत-संगीत एवं नुक्कड़

नाटकों का मंचन विभिन्न स्थानों पर किया गया।

अरण्य भवन परिसर में भूकम्प से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। जहां कि भूकम्प के समय वास्तविक स्थिति को दर्शाते हुए राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) द्वारा अरण्य भवन स्थित कार्यालयों के पदाधिकारीयों एवं कर्मियों को मॉकड्रिल का अभ्यास कराया गया। साथ ही साथ प्री हॉस्पीटल ट्रीटमेंट का प्रशिक्षण पदाधिकारियों/कर्मियों को दिया गया। अरण्य भवन स्थित 18 कार्यालयों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने भूकम्प से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल का लाभ उठाया।

मॉकड्रिल के अतिरिक्त आपसदारी कलामंच के कलाकारों द्वारा भूकंप से बचाव हेतु गीत-संगीत एवं नुक्कड़ नाटक का मंचन कर भूकंप से सुरक्षा हेतु जागरूकता का संदेश जनमानस को विभिन्न स्थानों एस०के०पुरी पार्क, तारामंडल तथा पटना जं० पर दिया गया।

17 जनवरी 2018

- बिहार विधान सभा एवं परिषद् परिसर में एन०डी०आर०एफ० के नेतृत्व में आयोजित मॉकड्रिल में लगभग ६०० सौ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।
- विद्युत भवन में भूकम्प से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल आयोजित किया गया।
- बिस्कोमान भवन, पटना विश्वविद्यालय एवं कालिदास रंगालय में आपसदारी कला मंच द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया।

विधान सभा एवं परिषद परिसर में आयोजित मॉकड्रिल के अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी ने आपदा प्रबंधन विभाग एवं प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे विभिन्न जन-जागरूकता कार्यक्रमों एवं भूकम्प से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल की सराहना की। साथ ही आपदा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम को विधान सभा परिसर में करने की सलाह दी, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ मिल सके।

विद्युत भवन में मॉकड्रिल में भूकम्प के समय वास्तविक स्थिति को दर्शाता हुए राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) द्वारा एस० बी० पी० डी० सी० एल०, एन० बी० पी० डी० सी० एल० एवं बी०एस०पी०, एच०सी०एल० के लगभग २००० पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को मॉकड्रिल का अभ्यास कराया गया। साथ ही साथ प्री हॉस्पीटल ट्रीटमेंट का प्रशिक्षण पदाधिकारियों/कर्मियों को दिया गया। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, डा० उदय कांत मिश्र ने इस तरह के मॉकड्रिल अभ्यास को निरंतर कुछ माह के अंतराल पर स्वयं ही आयोजित करने पर बल दिया।

19 जनवरी 2018

बिहार के 38 जिलों के मुखिया, सरपंच, एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण दिये जाने के कार्यक्रम के अंतर्गत 18-19 जनवरी 2018 को मधुबनी जिला के प्रत्येक प्रखंड के एक-एक मुखिया, एक-एक सरपंच के मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण के प्रथम बैच का उद्घाटन बामेती, पटना में किया गया।

मॉकड्रिल एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन

- पी०एम०सी०एच०, संत कैरेन्स हाई स्कूल एवं टेलीफोन भवन मे एन०डी०आर०एफ० द्वारा भूकम्प से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल का आयोजन किया गया।
- एम्स, भगत सिंह चौक, फुलवारीशरीफ, तथा दानापुर रेलवे स्टेशन में आपसदारी कला मंच द्वारा नुक्कड नाटक का मंचन किया गया।

20 जनवरी 2018

चित्रांकन एवं नारा लेखन प्रतियोगिता

पटना के इको पार्क में सेव द चिल्ड्रेन के सहयोग से भुकम्प सुरक्षा सप्ताह कें अंतर्गत स्लम के स्कूली बच्चों के लिए चित्रांकन एवं नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग ५०० बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया । प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को भूकम्प सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन रविवार को पुरस्कृत भी किया गया। इसके पूर्व बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एन०डी०आर०एफ० के सहयोग से भूकम्प से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल का आयोजन पटना के आर०पी०एस० स्कूल में आयोजित किया गया।

21 जनवरी : समापन भूकंप सुरक्षा सप्ताह

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भूकंप सुरक्षा सप्ताह 2018 (15-21 जनवरी) का २१ जनवरी को विधिवत समापन किया गया । जहां एक ओर प्राधिकरण तथा सहभागियों द्वारा राज्य को भूकंप से सुरक्षित करने के साथ-साथ आपदा मुक्त बनाने की नई संभावनाओं के साथ नया संकल्प लिया गया, वहीं दूसरी ओर सप्ताह भर चले इस आयोजन में सक्रिय योगदान करने वाली संस्थाओं एवं लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।

भूकंप सुरक्षा सप्ताह 2018 के दौरान आयोजित कुछ अन्य कार्यक्रम

1. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. पूर्व में चलाए जा रहे अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों, वास्तुविदों, संवेदकों के लिए भूकम्परोधी निर्माण तकनीक संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी विस्तारित किया गया।
3. माननीय मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेश पर पंचायत प्रतिनिधियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
4. मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत सुरक्षित शनिवार के कार्यान्वयन हेतु जनवरी 2018 को व्यापक रूप से मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया।

भूकम्प सुरक्षा सप्ताह - 2018

जिला स्तरीय कार्यक्रमों की एक झलक

1. NDRF/SDRF एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से समाहरणालयों, जिला स्तरीय महत्वपूर्ण कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/कारखानों तथा चुनिन्दा अपार्टमेंटों में भूकम्प संबंधी Mockdrill का आयोजन।
2. विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों के बीच भूकम्प एवं उससे सुरक्षा/बचाव पूर्व तैयारियों के विषय पर पेंटिंग, निबंध, नारा लेखन, नाटक एवं वाद-विवाद जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन।
3. पंचायतों एवं जन प्रतिनिधियों को भूकम्परोधी एवं आपदारोधी भवनों के निर्माण तथा भूकम्प से सुरक्षा संबंधी उपायों के संबंध में संवेदित करने हेतु/बैठक/गोष्ठियों का आयोजन।
4. गीतों एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जिले में भूकम्प संबंधी जागरूकता का प्रचार-प्रसार।
5. सिनेमा हॉलो में स्लाईड्स के माध्यम से भूकम्प से सुरक्षा के उपायों का प्रचार, सार्वजनिक स्थानों, सभी सरकारी कार्यालयों तथा अनुमंडल, अंचल, प्रखंड, पंचायत स्तरीय गैर सरकारी कार्यालयों, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशनों, अस्पताल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, व्यवहार न्यायालय, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल, हाट-बजार, नगरपालिका एवं नगर निगम के वार्डो, इत्यादि में भूकम्प सुरक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना।
6. भूकम्प सुरक्षा संबंधी प्रभातफेरी, मानवश्रृंखला का निर्माण आदि किया जाना।
7. भूकम्प संबंधी लघु फिल्मों का प्रदर्शन।

उपरोक्तानुसार राज्य के सभी जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा किया गया।

2. 106 वां बिहार दिवस के अवसर पर पैवेलियन

बिहार के 106वें स्थापना दिवस समारोह के आयोजन के अवसर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पैवेलियन लोगों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र बना हुआ था। "सक्षम समुदाय: सुरक्षित बिहार" थीम पर आयोजित इस पैवेलियन में प्राधिकरण के विभिन्न भागीदारों के सहयोग से विभिन्न आपदाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य आपदाओं के संबंध में जागरूकता और उनके न्यूनीकरण को लेकर किये जा रहे प्रयासों से जनमानस को रू-ब-रू करना है, जिससे आपदा के कुप्रभावों को कम किया जा सकता है। "बिहार दिवस समारोह" में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न सहयोगियों के साथ लगभग 20 स्टॉलों के जरिये आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों के बारे में जनमानस को जानकारी प्रदान की गयी। इस पैवेलियन में बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष गतिविधियां भी आयोजित की गयी। साथ ही अभियंताओं, राजमिस्त्रियों के लिए विशेष स्टॉल भी लगाये गए। इस बार के मुख्य प्रतिभागियों में एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, सिविल डिफेंस, आक्सफेम, बिहार राज्य अग्निशमन सेवा, पटना ट्रैफिक पुलिस, सेव द चिल्ड्रेन, जी0पी0 सिन्हा इंस्टीच्यूट, वर्ल्ड विजन, बिहार वेटनरी कॉलेज, प्लान इंण्डिया, डिजास्टर टूल्स, मपेट शो, सी0आर0एस0, कैरीटॉस, युगान्तर एवं BSDMA का भूकंप निर्माण तकनीक, भूकंपरोधी घर एवं बांस के घर इत्यादि। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पैवेलियन का उद्घाटन 22 मार्च, 2018 को आपदा प्रबंधन विभाग के माननीय मंत्री श्री दिनेश चन्द्र यादव ने किया। इस अवसर पर माननीय मंत्री ने प्राधिकरण के पैवेलियन में विभिन्न सहयोगी एजेन्सियों द्वारा लगाये गए स्टॉल में दिलचस्पी दिखायी और सभी से उनकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सिविल डिफेंस, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा आयोजित मॉकड्रिल एवं प्रदर्शित नुक्कड़ नाटक को भी देखा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि प्राधिकरण का यह प्रयास अत्यन्त सराहनीय है और लोगों को यहां से प्राप्त सीख को जीवन में अपनाना चाहिए और साथ ही और लोगों तक उसे पहुंचाना चाहिए। इस अवसर पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्री व्यास जी, सदस्य, डॉ0 उदयकांत मिश्र, एवं सदस्य, श्री पी0एन0 राय के अतिरिक्त सहभागी एजेन्सियां उपस्थित थे। 23 मार्च, 2018 को लगभग छ: हजार लोगों ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पवेलियन में आपदा संबंधी जानकारियां प्राप्त कीं। सेव द चिल्ड्रेन के स्टॉल पर बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर विभिन्न आपदाओं पर पेंटिंग बनाई तथा पुरस्कार भी प्राप्त किया। अग्निशमन सेवा के स्टॉल पर बांकीपुर बालिका उच्च विद्यालय के छात्राओं ने अग्नि सुरक्षा संबंधी क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया। पवेलियन में अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त एस0डी0आर0एफ0 के स्टॉल पर खून जांच, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हाईट एवं वेट की जांच की गई। साथ ही इस स्टॉल पर लोगों ने काफी संख्या में अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। लोगों के उत्साह को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि लोग ना केवल आपदा के प्रति बल्कि स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हुए हैं। अंतिम दिन बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद ने पैवेलियन का परिभ्रमण किया।

3. अग्नि सुरक्षा सप्ताह

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन दिनांक 14-20 अप्रैल तक किया जाता है।

वर्ष 2018 में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के दौरान प्राधिकरण द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

अग्नि से सुरक्षा पर कार्य योजना बनाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया। आपदा प्रबंधन विभाग, प्राधिकरण तथा अग्नि शाम सेवा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला में विभिन्न विभागों/संस्थाओं के सहभागियों द्वारा समेकित रूप से अग्नि से सुरक्षा, अगलगी से बचाव व उसके रोकथाम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई तथा कार्ययोजना प्रारुप तैयार किया गया जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों, संस्थाओं आदि द्वारा अगलगी से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने तथा जन-जागरूकता अभियान आदि पर बल दिया गया।

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी की अध्यक्षता में आयोजित उक्त एक दिवसीय कार्यशाला में श्री पी0 एन0 राय, श्री वाई0 सुभाष, प्रबंधक, इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी, अविनाश कुमार के अतिरिक्त विभिन्न प्रखंडो के अंचल अधिकारी, बिहार अग्निशाम सेवा के पदाधिकारी तथा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस सप्ताह प्राधिकरण तथा बिहार अग्निशाम सेवा द्वारा संयुक्त रूप से एस0 के पुरी चिल्ड्रेन पार्क से राजधानी वाटिका, इको पार्क तक अग्नि सुरक्षा दौड़ का आयोजन किया गया जिसको मुख्य सचिव बिहार सरकार, श्री अंजनी कुमार सिंह द्वारा हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया।

अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर मॉकड्रिल एवं नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन कर आमजन को अगलगी से जागरूक करने का प्रयास किया गया।

प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम

1. अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राज्यमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण

बिहार राज्य में भूकम्प का जोखिम और इसके प्रति अधिक संवेदनशीलताए इस बात से स्पष्ट होती है कि राज्य के नेपाल से सटे आठ जिले भूकम्प की दृष्टि से भूकम्प जोन 5 में आते हैं जो कि सर्वाधिक संवेदनशील हैं। 24 जिले भूकम्प जोन 4 के अंतर्गत आते हैं एवं शेष 6 जिले भूकम्प जोन 3 में आते हैं इस प्रकार लगभग पूरा बिहार संवेदनशील भूकम्पीय क्षेत्र में आता है। यह सर्वविदित है कि भूकम्प के कारण लोगों की मृत्यु नहीं होती परन्तु भूकम्प के कारण कमजोर संरचनाओं के गिरने से लोगो की मृत्यु एवं जान-माल की क्षति होती है।

इस संदर्भ में, आपदा प्रबंधन के बदले परिदृश्य में भूकंपरोधी भवनों का निर्माण एवं पूर्व में निर्मित मकानों का रेट्रोफिटिंग कर उन्हें भूकंपरोधी बनाया जाना एक सकारात्मक पहल है जिसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि निर्माण कार्य में संलंग्न सभी साझेदारों का क्षमतावर्धन किया जाय एवं आमजन को भूकंपरोधी भवनों के निर्माण के संदर्भ में जागरूक किया जाए। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा बिहार राज्य में अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी निर्माण एवं रेट्रोफिटिंग तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा अभियंताओं की Training Need की पहचान कर वरीय अभियंताओं, जिला स्तरीय अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल तथा तद्नुसार प्रशिक्षण सामग्री विकसित की गयी एवं जनवरी 2017 से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। प्रशिक्षण लगातार चल रहा है।

2. मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया जाता रहा है। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015-30 में वर्णित सुरक्षित शनिवार की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु इस वर्ष से अब राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, सरकार के विभिन्न विभागों, यथा, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, द्वारा संचालित विद्यालयों और सभी मदरसों, कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों एवं संस्कृत शिक्षा बोर्ड से संबंधित विभिन्न विद्यालयों में "मुख्य मंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को चेतना सत्र में आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि "घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक" विभिन्न आपदाओं का बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों, नियमित शिक्षण में आनेवाली बाधाओं तथा इससे होने वाले नुकसान में काफी हद तक कमी लायी जाए। "सुरक्षित शनिवार" को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा चयनित शिक्षकों को मास्टर टेनर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चयनित मास्टर ट्रेनर्स सरकारी विद्यालयों एवं मदरसों के शिक्षक होते हैं। प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स जिलों में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे जिनके माध्यम से हर स्कूल में फोमल शिक्षक प्रशिक्षित किए जाने हैं।

3. आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में "सुरक्षित गाँव" के घटक के अंतर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपदा की प्रकृति स्थानीय होती है और इसके रिस्पांस हेतु समुदाय की सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय समुदाय के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं और उनका स्थानीय समुदाय पर सीधा प्रभाव होता है। पंचायत प्रतिनिधियों की आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जागरूकता एवं क्षमतावृद्धि से स्थानीय समुदाय पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपदा रिस्पांस ;बचाव एव राहत के कार्य प्रभावी तरीके से संपादित किये जा सकेगें। आपदा से प्रभावित होने वाले समुदाय की नाजुकता (Vulnerability) के विश्लेषण के लिए ग्राम सभा एवं पंचायत प्रतिनिधियों का जागरूक होना आवश्यक है। आपदाओं के प्रति पंचायत प्रतिनिधियों के जागरूक होने से स्थानीय समुदाय अपने स्थानीय प्रकृति के आपदाओं के विश्लेषण और उसके न्यूनीकरण, बचाव एवं रिस्पांस की योजनाएं सटीक रूप से तैयार कर सकता है। इन जिम्मेवारियों के निर्वहन हेतु पंचायतों का प्रशिक्षित होना नितांत आवश्यक है जिनके माध्यम से राज्य के प्रत्येक दूर दराज के गाँवों तक पहुंचा जा सकता है और आपदा प्रबंधन की संस्कृति जन-जन तक विखेरी जा सकती है। उपरोक्त के आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के 38 जिलों के प्रत्येक प्रखंड से चयनित एक-एक मुखिया, सरपंच के "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अपने जिले में प्रखण्ड स्तर पर सभी पंचायतों के मुखिया, सरपंच एवं पंचायत प्रतिनिधियों को "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनवरी, 2018 से राज्य के 38 जिलों में सरपंच, मुखिया एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियेां के "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षण हेतु जिला पदाधिकारियों द्वारा अपने जिले के प्रत्येक प्रखंड से एक-एक मुखिया एवं सरपंच को चयनित कर राज्य स्तर पर भेजा जाता है जिन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मॉड्यूल के अनुसार मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सभी मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण हस्त पुस्तक दी जाती है। यह मास्टर ट्रेनर्स प्रखण्ड स्तर पर अन्य सरपंच, मुखिया एवं पंचायत प्रतिनिधियों को आपदा न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण हेतु जिलों को राशि एवं पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण हस्तपुस्तिका प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। जनवरी से मार्च, 2018 तक मधुबनी-25, पूर्वी चम्पारण-33, सहरसा-19, सुपौल-22, मधेपुरा-25, शिवहर-8 एवं सीतामढ़ी-26, कुल 158 मास्टर टेज्नर्स को प्रशिक्षत किया जा चुका है।

4. सुरक्षित नौका परिचालन हेतु कार्ययोजना का सूत्रण

विगत वर्षों में हुई नौका दुर्घटनाओं में अलग-अलग स्थानों पर काफी संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में सुरक्षित नौका परिचालन के लिए रणनीति एवं कार्य योजना विकसित करने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन 6 जून 2017 को पटना में किया गया। जिसमें सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा खगड़िया समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर और पटना से नाविकों ने भाग लिया। तदनुसार सुरक्षित नौका परिचालन की कार्य योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

इस कार्ययोजना के निम्नांकित घटक (Component) है:-

- क्षमता निर्माण (Capacity Building)
- जन-जागरूकता (Awareness)
- प्रवर्तन (Enforcement)
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation)

सुरक्षित नौका परिचालन की कार्य योजना के आलोक में सुरक्षित नौका परिचालन हेतु नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मॉडयूल एवं सामग्री का निर्माण किया गया। मॉड्यूल के निर्माण के उपरांत NINI के सहयोग से जुलाई 2017 से चयनित 29 जिलों के नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया जो समाप्त हो गया है। इन प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तीय सहयोग से जिला स्तर पर नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी मास्टर ट्रेनर्स एवं प्रशिक्षित नाविकों/नाव मालिकों को प्रशिक्षण सामग्री एवं पुस्तिका उपलब्ध करायी जाती है।

5. नाविकों एवं नाव मालिकों का प्रशिक्षण

विगत वर्षों में हुई विभिन्न नौका दुर्घटनाओं में अलग.अलग स्थानों पर बहुत अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा दिनांक 30 जून 2017 को बाढ़ एवं अल्प वर्षापात की स्थिति में की जाने वाली तैयारियों के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश दिए गए : -

"नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण/ उन्मुखीकरण हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मास्टर ट्रेनर्स तैयार करे। नदी घाटों पर नावों के निबंधन शिविरों के दौरान ही नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान नाविकों एवं नाव मालिकों को नाव दुघर्टनाओं के रोकथाम के उपायों के साथ साथ सुरक्षित नाव परिचालन के नियमों के अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कारवाई/प्रावधानों की भी जानकारी दी जानी चाहिए।" उपरोक्त के आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित नौका संचालन हेतु नाविकों एवं नाव मालिकों की क्षमता वर्धन एवं जन.जागरूकता हेतु 29 बाढ़ प्रवण जिलों के नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

6. नौकाओं के निबंधन हेतु निबंधकों/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण

बिहार सरकार नाव दुर्घटनाओं को रोकने हेतु निरंतर प्रयासरत रही है। आदर्श नौका नियमावली 2011 मे उल्लेखित नियमों के आलोक में सर्वेक्षक एवं निबंधन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वे नौकाओं में सुरक्षा संबंधी मानकों एवं आवश्यक जीवन रक्षा उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित कराते हुए नौकाओं के निबंधन एवं सर्वेक्षण का कार्य प्रतिपादित करें जिससे राज्य में नौकाओं का संचालन सुरक्षित रुप से हो सके। प्राधिकरण द्वारा नौका निबंधन एवं सर्वेक्षण के संबंध में अद्यतन स्थिति का अध्ययन कराया गया और ज्ञात हुआ कि जिलों में सर्वेक्षकों एवं निबंधकों को आदर्श नौका नियमावली 2011 की पर्याप्त जानकारी नहीं है जिससे नौकाओं का निबंधन सही तरीके से नहीं हो रहा है। प्राधिकरण स्तर पर इसे गंभीरता से लेते हुए निबंधकों एवं सर्वेक्षकों को प्रशिक्षित करने का संकल्प लिया गया एवं विशेषज्ञों की टीम गठित कर निबंधकों एवं सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण देने के लिए माड्यूल तैयार किया गया। जिसके आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नौका दुर्घटनाओं के न्यूनीकरण एवं रोकथाम तथा सुरक्षित नौका परिचालन हेतु राज्य के बाढ़ प्रवण सहित कुल 29 जिलों के सभी प्राधिकृत निबंधक/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बिहार आदर्श नौका नियमावली-2011 में वर्णित नियमों एवं प्रावधानों के बारे में प्रतिभागियों के संवेदीकरण एवं क्षमतावर्द्धन का कार्य किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान नावों की संरचनाएं, उनके मुख्य भाग, नावों का निबंधन, भार क्षमता का आकलन, लोड लाईन का रेखांकन एवं अनुपालन, सवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों की जानकारी, नाव रोकने के लिए लंगर, रात्रि में प्रकाश स्रोत की व्यवस्था, नावों में जीवन रक्षक एवं अग्निशमन आदि के उपकरणों की आवश्यकता एवं उपयोग के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया जा रहा है ।

7. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के आपदा प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्वों में आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण स्थान है। आपदा प्रबंधन की अवधारणा में आमूल-चूल परिवर्तन होने के फलस्वरूप आपदा प्रबंधन में केवल राहत एवं बचाव ही नहीं, अपितु रोकथाम, शमन, पूर्व तैयारियां, न्यूनीकरण, रेस्पोंस एवं पुर्नस्थापन/पुर्ननिर्माण की गतिविधियाँ शामिल हो गई हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राज्य, जिला एवं अनुमंडल स्तर पर नीतियों के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अवधारणा परिवर्तन के उपरांत, यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, नीति, राज्य योजना, जिला योजना एवं बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप आदि का ज्ञान दिया जाए। उनको आपदा रेस्पोंस के लिए निर्धारित प्रशासनिक संरचनाओं तथा प्रशासनिक विशेषज्ञ बलों (NDRF/SDRF) के कार्यो की जानकारी भी हो। विशेष कर विभिन्न आपदाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं तथा मार्गदर्शिकाओं का जिलास्तर पर इस्तेमाल के संबंध में उनको अवगत होना अत्यावश्यक हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का आपदा प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, फुलवारीशरीफ पटना के सहयोग से दो दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी स्तरों, यथा-अनुमंडल, जिला एवं राज्य, के पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन के अवधारणा परिवर्तन के पश्चात नवजनित आयामों यथा- रोकथाम, शमन, न्यूनीकरण, त्वरित रेस्पोंस, पुर्नस्थापन एवं पुर्ननिर्माण आदि के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की बहु-आपदा प्रवणता, आपदा प्रबंधन से संबन्धित संस्थागत ढाँचों, अधिनियम, नीतियों, राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित मानव संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका आपदा प्रबंधन हेतु उन्मुखीकरण एवं क्षमता वर्धन किया जाय। इस प्रशिक्षण से यह लाभ होगा कि आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रेस्पोंस में गति आयेगी एवं किसी प्रकार के दुविधा की स्थिति से बचा जा सकेगा । आपदा से प्रभावित होने वाले समुदायों के बचाव, आपदा जोखिम के न्यूनीकरण तथा आपदा पीड़ितों को ससमय साहाय्य उपलब्ध कराने में सहूलियत हो। वर्तमान में जिला स्तर पर पदस्थापित बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। अब तक कुल 330 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

8. बिहार भूकम्प दूरमापी तंत्र की स्थापना

भूकम्प की दृष्टि से हिमालयन क्षेत्र के निकट होने के कारण बिहार के भू.भाग भूकम्प की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। बड़े भूकम्पों के अलावे जमीन के अंदरूनी भाग में भूकम्प उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाले विभिन्न अपभ्रन्स (Faults) हैं, जो इस भूभाग में आंतरिक रूप से लगातार क्रियाशील हैं।

इस प्रकार की भूकंपीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक पाया गया कि बिहार के भूभाग में भूकंपीय स्थिति एवं इसके बदलाव पर सतत निगरानी बरती जाय तथा इसके आकड़ों को इकट्ठा कर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाय। अध्ययन निष्कर्षों का प्रयोग क्षेत्र विशेष में भूकंपरोधी भवन निर्माण के तकनीक में किया जा सकता है। तदनुसार बिहार के 10 जिलों में भूकंपीय वेधशालाओं के निर्माण का निर्णय लिया गया एवं आंकड़ों के संग्रहण हेतु केंद्रीय संग्रहण केंद्र पटना विज्ञान महाविद्यालय के परिसर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र पर VSAT के माध्यम से आकड़े प्राप्त किए जायेंगे, जिसका विश्लेषण केंद्र पर लगे कम्प्युटर के माध्यम से होगा। एकत्रित आंकड़ों का उपयोग कर बिहार के अंदरूनी भूभाग की संरचना की जानकारी प्राप्त कर भूकम्प आने की दशा में कितना प्रभाव होगा, इसका अध्ययन किया जाएगा।

9. राज्य में डूबने की घटनाओं की रोकथाम एवं उनमें कमी लाने हेतु कार्य योजना का सूत्रण एवं "सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम"

वर्ष 2016 में छठ के समय डूबने से हुई मौतों का स्वत: संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने इनके कारणों की पहचान कर निरोधात्मक व जोखिम न्यूनीकरण का उपाय करने के निर्देश दिये। प्राधिकरण ने जाँच टीम गठित कर डूबने के कारणों की पड़ताल की। साथ ही डूबने से होने वाली मौतों के रोकथाम एवं न्यूनीकरण की कार्ययोजना सूत्रण पर कार्य प्रारभ किया। इस कार्ययोजना के सूत्रण हेतु बहुहितभागी एवं सहभागी प्रक्रिया द्वारा सामग्रियां जुटाई गयीं एवं यूनिसेफ की अगुआई में एक बहु हितभागी ड्राफ्टिंग कमिटी का गठन किया गया। कार्य योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्य योजना के निम्न घटक है:-

1. सामुदायिक जन जागरूकता एवं संवेदीकरण
2. तैराकी न जानने वाले 6-18 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं का तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण
3. तैराकी जानने वाले 6-18 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं का तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का Advanced प्रशिक्षण
4. समुदाय को Pre-hospital treatment एवं डूबने से बचाव का प्रशिक्षण
5. खतरनाक घाटों पर नागरिकों के जाने पर रोक लगाना

10. Mass Messaging/Whatsapp Advisory

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा व्यापक रूप से जन जागरूकता के लिए Mass Messaging Advisory का कार्य शुरू किया गया। Mass Messaging का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक आपदा के संदर्भ में पहुंचना तथा आपदा के प्रति लोगों को सचेत एवं जागरूक करना है इस तकनीक के जरिए प्राधिकरण ने लगभग छ: लाख विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया, पंचों, वार्ड सदस्यों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों, आशा कर्मचारियों- 87 हजार, जीविका दीदी 1,47,000, अग्निशमन सेवा - 170, इंजीनियरों- 786, शिक्षकों- 605 आदि को Mass Messaging भेज जागरूक करने की कोशिश की जा रही हैं जिससे किसी भी आपदा के वक्त जान-माल की क्षति को कम किया जा सके। विभिन्न आपदाओं पर आधारित Message जैसे:- सड़क दुर्घटना, अगलगी, बाढ, भूकंप, सुरक्षित घर-सुरक्षित परिवार, नाव दुर्घटना से बचने के उपाय, नदियों-तालाबों में डूबने से बचने के उपाय इत्यादि पर Mass Messaging Advisory बनाकर उन आपदाओं से स्वयं तथा अन्य लोगों को कैसे जागरूक तथा सुरक्षित कैसे करें एवं किसी भी आपदा के वक्त क्या करें क्या न करें की जानकारी लगातार प्रेषित की जा रही है। साथ ही साथ Whatsapp group भी बनाया गया है जिसके माध्यम से Cos, BDOs, DMs, ADMs, Ward Members आदि को भी Pictorial Advisory तथा Message के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश की जा रही है।

INTERNAL AUDIT REPORT
FY 2017-18

Bihar State Disaster Management Authority

Second Floor, Pant Bhawan, Bailey Road,
Patna, Bihar-1

ऑडिट रिपोर्ट

S K Patodia & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS

Date: 01.02.2019

To,
The Secretary,
Bihar State Disaster Management Authority
Patna, Bihar-800001

Subject:Submission of Internal Audit Report for the Financial Year 2017-18

Sir,

With regard to above reference, we are pleased to inform you that we have been appointed to conduct internal audit of Bihar State Disaster Management Authority for the year 2017-18.

We have totally relied upon the data and information furnished by your office either orally or through any other media. It is the sole and exclusive responsibility of the BSDMA to ensure that data furnished is complete, consistent and accurate in all respect.

Our report is in nature of internal audit report only and not any statutory audit in accordance with generally accepted standards in India, we do not express any assurance on financial statement and also on the completeness of aforesaid factual findings.

While all reasonable care has been taken to ensure that the facts stated in this report are accurate, neither S. K. Patodia & Associates nor its consultants, staff, employees, etc. shall in any way be responsible for its contents and take no responsibility / liability for any reliance thereon by a third party not expressly authorized by S. K. Patodia & Associates thereto.

This report is restricted for the use of Bihar State Disaster Management Authority who has agreed to the procedures and should not be used for any other purposed including disclosure to/ discussion with any other parties.

For S K Patodia & Associates
Chartered Accountants

Ajay Kumar Agarwal
Authorized Signatory
Membership No. :- 426910

Enclose: Internal Audit report for the year 2017-18

Internal Audit Report For FY 2017-18

1. BACKGROUND

Bihar State Disaster Management Authority is a statutory body created under the provisions of Disaster Management Act, 2005 passed by the Parliament. As per the provisions of the Act, Bihar State Disaster Management Authority (BSDMA) has been created at state level which is headed by Hon'ble Chief Minister of Bihar. Bihar State Disaster Management Authority is undertaking a number of measures focused on Disaster Risk Reduction (DRR) and mitigation. Vision of Bihar State Disaster Management Authority is "To build a safe and disaster-resilient Bihar by developing a holistic, proactive, multi-disaster and technology-driven strategy for Disaster Management." Roles & Responsibilities of BSDMA are as below:

(i) Lay down policies on disaster management and approve the State Plan.

(ii) Approve plans prepared by the Departments of the State Government in accordance with the State Plan and Lays down the guidelines to be followed by the District Authorities in drawing up the District Plan.

(iii) Lay down guidelines to be followed by the different State Departments for the Purpose of integrating the measures for prevention of disaster or the mitigation of its effects in their development plans and projects.

(iv) Coordinate the enforcement and implementation of the policy and plan for disaster management and recommend the provision of funds for the purpose of mitigation.

(v) Take such other measures for the prevention of disaster, or the mitigation, or preparedness and capacity building for dealing with the threatening disaster situation or disaster as it may consider necessary.

(vi) Lay down broad policies and guidelines for the functioning of the State Institute of Disaster Management.

2. PURPOSE OF INTERNAL AUDIT

Internal auditing is a continuous process of appraisal of an organization's operations and evaluation and monitoring of risk management, reporting, and control practices. It is an independent and objective oriented assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing in systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of the operations of an organization in totality.

3. PROCEDURES PERFORMED

We have deployed a dedicated team at Bihar State Disaster Management Authority, Bihar Office to conduct audit procedures and note their observations related to:

a) Finance and Accounts
b) Maintenance of books of accounts
c) Internal controls
d) Statutory compliances etc.

The internal audit was conducted with a view to take overall picture of the organization.
We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit.
During the execution of audit, our team members have noted various observations which are as follows:

4. AUDIT OBSERVATIONS AND RECOMMENDATION

4.1. No Treatment made in books for time barred cheques

Observation	Recommendation
During reconciliation of bank statements, we found that, (i) Cheque issued in financial year 2016-17 are neither cleared or nor taken reversal in the books. (ii) Cheque issued up to December 2017 become time barred and against this neither fresh cheque is issued nor reversal has been taken in books. (iii) Interest Receipts, Bank Charge and other Receipts Which are not taken in the Cash Book For the Financial year 2017-18	Management should either re-issue a new cheque or pass necessary adjustment entry in books of account against the un-cleared / time barred cheque at the end of financial year.

Details are as under:

(i) Cheque issued in financial year 2016-17:

Particular	Date	Cheque No	Amount in Rs.
Dy Commissioner of Commercial Tax	11-01-2017	157065	236.00
BSNL, Patna	18-01-2017	157075	6,018.00

Internal Audit Report For FY 2017-18

Airtel	18-01-2017	157077	676.00
Dy Commissioner of Commercial Tax, West Circle , Patna	23-02-2017	157113	3,906.00
Dy Commissioner of Commercial Tax, West Circle , Patna	23-02-2017	157112	7,038.00
GIS	06-03-2017	156621	540.00
Cheque issued as yourself as deduction of computer advance	06-03-2017	156622	680.00
G I F	06-03-2017	157120	43,000.00
Cheque issued as yourself for motor car advance	06-03-2017	156623	6,700.00
Cheque issued as yourself as deduction of computer advance	07-03-2017	156643	680.00
Cheque issued as yourself for motor car advance	07-03-2017	156644	13,400.00
Bharat Jyoti	08-03-2017	156654	5,000.00
Arun Kumar	08-03-2017	156656	245.00
ABP Pvt Ltd	08-03-2017	156652	7,360.00
	31-03-2017		41,775.00
Total			**1,37,254.00**

(ii) Cheque issued between 01.04.2017 to 31.12.2017:

Particular	Date	Ch. No	Amt in Rs.
Mangalam Enterprises	04-07-2017	380660	22,640.00
Food Expenses	01-08-2017	380725	15,500.00
Expenses on Bihar Diwas	01-08-2017	380727	1,350.00
Master Trainer for boat Driving	11-08-2017	380747	1,700.00
Bennet	01-09-2017	380842	1,682.00
Expenses on Trainee (Organise by NINI)	04-09-2017	380913	1,600.00
Expenses on Trainee (Organise by NINI)	04-09-2017	380915	1,600.00
Expenses on Trainee (Organise by NINI)	04-09-2017	380916	1,600.00

Expenses on Trainee (Organise by NINI)	04-09-2017	380917	1,600.00
Advertiesment Expenses	05-09-2017	380924	3,604.00
Trainer for Expenses on Boat Driving	14-09-2017	380966	1,700.00
Trainer for Expenses on Boat Driving	29-11-2017	468801	1,700.00
Total			**56,276.00**

(iii) Interest Receipts, Bank Charge and other Receipts/Payments Which are not taken in the Cash Book For the Financial year 2017-18

Particular	Date	Ch. No	Amt in Rs.
Unicef	21/04/2017		(1,05,000.00)
Grant Receipts From Unicef	09/01/2018		250,000.00
Wrongly Entry Taken at Payment side in Cash Book	31/03/2018		44,419.00
Bank Charge	2017-18		(3628.50)
Administrative Staff College of india	10/08/2017		42,659.00
Unexplained Amount Credited	26/03/2018		7,000.00
Total			**2,35,449.50**

4.2. Reluctance to comply with statutory liabilities

Observation	Recommendation
It noted during the audit of TDS through traces website that various demand has been issued by the Income Tax department due to non-compliances error made in filling of TDS return.	Non compliance of statutory obligations has revenue implication in terms of interest and penalty. Management should resolve the TDS Compliances as soon as possible.

Internal Audit Report For FY 2017-18

Details are as below:

FY	Form type	Type of default	Default Amount	Payable	Total Payable	Net Payable	Deductee with invalid Pan
2013-14	24QQ1	Short Payment	95,500	95,500	111,258	111,260	-
		Interest on Short Payment	15,758	15,758			
	24QQ2	Short Payment	87,500	87,500	98,000	98,000	-
		Interest on Short Payment	10,500	10,500			
	24QQ3	Short Payment	161,000	161,000	173,075	173,080	-
		Interest on Short Payment	12,075	12,075			
	24QQ4	Short Payment	581,799	581,799	613,450	613,450	-
		Short deduction	5,347	5,347			
		Interest on Short Payment	26,145	26,145			
		Interest on Short Deduction	159	159			
2015-16	24QQ3	Interest on late deduction	616	616	1,016	1,020	
		Late Filing Levy	400	400			
	24QQ4	Short Payment	63,632	63,632	141,055	141,060	-
		Short Deduction	65,158	65,158			
		Interest on Short Payment	5,724	5,724			
		Interest on short deduction	1,941	1,941			
		Late Filing Levy	4,600	4,600			
	26QQ4	Late Filing Levy	400	400	440	440	

Internal Audit Report For FY 2017-18

		Interest u/s 220(2)	40	40			
2016-17	24QQ2	Late Filing Levy	400	400	400	400	-
	26QQ2	Late Filing Levy	400	400	400	400	-
	24QQ3	Interest on late Payment	1,050	1,050	1,396	1,400	-
		Additional Late Payment interest against the processing of latest correction	300	300			
		Interest on late deduction	6	6			
		Interest u/s 220(2)	40	40			
	24QQ4	Late Filing Levy	200	200	200	200	-
2017-18	24QQ2	Late Filing Levy	200	200	226	230	-
		Interest u/s 220(2)	26	26			
	26QQ2	Late Filing Levy	200	200		230	
		Interest u/s 220(2)	26	26			
	24QQ4	Short Deduction	35763	35763		39080	
		Interest on late Payment	1872	1872			
		Interest on short deduction	1424	1424			
		Interest u/s 220(2)	18	18			
	26QQ4	Short Deduction	375	375		4080	
		Interest on late Payment	3693	3693			
		Interest on short deduction	15	15			
		Total			**11,84,302**	**11,84,330**	

4.3. Clerical errors found in Bank Book: At many places, we found some clerical errors in cash book. Errors are as below:

Date of Adding error in cash book	Amount (₹)	Recommendation
11/10/2017	(1.00)	Responsible person should take proper attention during maintenance of books of account.
28/12/2017	(20,000.00)	
01/12/2017	(200.00)	
21/02/2018	30,688.00	
05/03/2018	1,000.00	
07/03/2018	(3.00)	

Acknowledgement: At the end, we are thankful to the BSDMA personnel especially finance & accounts department, which assisted us to get informed about the function and structure of the authority. It was the cooperation of personnel who enable timely and suitable completion of our internal audit proceedings.

For S K Patodia& Associates
Chartered Accountants

Ajay Kumar Agarwal
Partner
Membership No-426910

Place: Patna
Date: 01.02.2019

ENCLOSURE:

(i) Balance Sheet as on 31st March, 2018

(ii) Income and Expenditure Statement for the year ending on 31st March, 2018

(iii) Receipt and Payment Account for the year ending on 31st March, 2018

(iv) Schedule to Balance Sheet

(v) Notes to account

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey Road, Patna-1

Balance Sheet As On 31st March, 2018

Liabilities	Schedule No	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2018	Assets	Schedule No	As on 31st March, 2017	As on 31st March, 2018
		Amount in Rs.	Amount in Rs.			Amount in Rs.	Amount in Rs.
Capital Fund	1	39,72,903	47,01,074	**Fixed Assets**	6	39,70,003	46,98,174
Restricted Fund	2	1,01,53,611	9,39,01,455	**Current Assets, Loans & Advanvces**			
				Current Assets			
Long Term Loans			-	Cash in Hand	3	35,226	35,226
Current Liabilities				Cash at Bank	4	1,00,61,285	9,37,69,129
Vat Payable		-	-	Loans & Advances	5	60,000	1,00,000
TOTAL		**1,41,26,514**	**9,86,02,529**	**TOTAL**		**1,41,26,514**	**9,86,02,529**

- -

For S K Patodia & Associates
Chartered Accountants

For Bihar State Disaster Management Authority

Ajay Kumar Agarwal
Authorized Signatoty
Membership No. :- 426910

Sanwar Bharti
Secretary

Place: Patna
Date: 01-02-2019

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey Road, Patna-1
Income & Expenditure Account fot the year ended on 31st March, 2018

Expenditure	Amount in Rs.	Income	Amount in Rs.
Audit Fees	9,600.00	Fund Received to the extent utilized during the financial year	9,15,58,880.50
Bank Charges	5,690.50		
Commercial and Special Services	4,18,27,703.00		
Conveyance Expenses	7,200.00		
Electricitty Expenses	4,10,332.00	**Miscellaneous Income**	
Advertiesment Expenses	14,73,589.00		
Legal Expenses	5,875.00	Bank Interest	16,40,700.00
Medical Reimbursement	3,75,407.00	Other Grant/Donation from Administrative Staff Collage of India	42,659.00
Newspaper and Periodicals	33,315.00		
Office Expenses	3,18,332.00	Other Income	7,000.00
Printing And Stationary	1,32,21,291.00		
Rent Expenses	6,54,340.00		
Salary	3,02,46,891.00		
Telephone and Internet Expenses	3,66,874.00		
Travelling Allowances	24,18,855.00		
Fuel and Maintenance	11,38,774.00		
Fixed Assets Purchased	7,28,171.00		
TOTAL	**9,32,42,239.50**	**TOTAL**	**9,32,49,239.50**

For S K Patodia & Associates
Chartered Accountants

For Bihar State Disaster Management Authority

Ajay Kumar Agarwal
Authorized Signatoty
Membership No. :- 426910

Sanwar Bharti
Secretary

Place: Patna
Date: 01-02-2019

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey Road, Patna-1
Receipt & Payment Account fot the year ended on 31st March, 2018

Receipt	For the year ended on 31-03-2018	Payments	For the year ended on 31-03-2018
	Amount in Rs.		Amount in Rs.
Opening Balance		Advance to Anil Kumar Upadhayay	40,000.00
Cash in Hand	35,226.00	Audit Fees	9,600.00
Cash at Bank	1,00,61,284.50	Advertiesment Expenses	14,73,234.00
		Bank Charges	5,690.50
		Commercial and Special Services	4,18,21,063.00
		Conveyance Expenses	7,200.00
		Duties and Taxes	14,92,846.00
		Electricitty Expenses	4,10,332.00
		Legal Expenses	5,875.00
		Medical Reimbursement	3,75,407.00
		Newspaper and Periodicals	33,315.00
		Office Expenses	3,18,332.00
		Printing And Stationary	1,32,21,291.00
		Rent Expenses	6,54,340.00
		Salary	2,87,61,040.00
		Telephone and Internet Expenses	3,66,874.00
Fund Received		Travelling Allowances	24,18,855.00
From Government of Bihar	17,52,99,725.00	Vehicle Fuel and Maintenance	11,38,774.00
Miscellaneous Income		Purchase of Fixed Assets	7,28,171.00
Bank Interest	16,40,700.00		
Other Grant/Donation from Administrative Staff Collage of India	42,659.00	**Closing Balance**	
		Cash in Hand	35,226.00
Other Income	7,000.00	Cash at Bank	9,37,69,129.00
TOTAL	**18,70,86,594.50**	**TOTAL**	**18,70,86,594.50**

For S K Patodia & Associates
Chartered Accountants

For Bihar State Disaster Management Authority

Ajay Kumar Agarwal
Authorized Signatoty
Membership No. :- 426910

Sanwar Bharti
Secretary

Place: Patna
Date: 01-02-2019

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey Road, Patna-1
Schedule to the Balance Sheet

Schedule 1 : Capital Fund	
Particular	**Amount in Rs.**
Opening Balance as on 01.04.2017	39,72,903.00
Add :- Capital Expenditure During the Year	7,28,171.00
Closing Balance as on 31.03.2018	**47,01,074.00**

Schedule 2 : Restricted Fund	
Particular	**Amount in Rs.**
Opening Balance as on 01.04.2017	1,01,53,610.50
Add/(Less):	
Fund Received From Govt of Bihar	17,52,99,725.00
Fund Received From Administrative Staff collage of india	42,659.00
Bank Interest	16,40,700.00
Other Income	7,000.00
Expenditure Incurred for acquiring of Fixed Assets	(7,28,171.00)
Expenditure Incurred for other than acquiring of Fixed Assets	(9,25,14,068.50)
Closing Balance as on 31.03.2018	**9,39,01,455.00**

Schedule 3 : Cash in Hand	
Particular	**Amount in Rs.**
Opening balance as on 01.04.2017	35,226.00
Add/(Less):	
Deposit in bank	
Closing balance as on 31-03-2018	**35,226.00**

For S K Patodia & Associates
Chartered Accountants

For Bihar State Disaster Management Authority

Ajay Kumar Agarwal
Authorized Signatoty
Membership No. :- 426910

Sanwar Bharti
Secretary

Place: Patna
Date: 01-02-2019

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey Road, Patna-1
Schedule to Balance Sheet

Schedule 6 : Fixed Assets				
Particular	**Cost as on 01-04-2017**	**Addition up to 30-09-2017**	**Addition after 30-09-2017**	**Total Cost as on 31.03.2018**
Furniture and Fixtures				
Airconditioner	6,38,233	35,980	-	6,74,213
Furniture	6,38,611	3,95,782	1,00,000	11,34,393
Battery	72,900	4,250	-	77,150
LCD TV / TV	1,25,500	-	-	1,25,500
Fire Extinguisher	9,627	-	-	9,627
Water Filter	68,800	-	-	68,800
Water Mist & CAF FE Back up with trolly	4,04,533		-	4,04,533
Office Equipments				
Apple Adapter	6,500	-	-	6,500
Camera	14,800	-	-	14,800
Mobile Purchase		7,800	7,860	15,660
Coffee Machine		43,813	-	43,813
Printer	2,58,870	6,325	-	2,65,195
Public Address System	92,600	-	-	92,600
Speaker Telephone Set	5,775	-	-	5,775
Computer peripherals				
Computer	6,71,156	42,480	81,125	7,94,761
EPABX System	53,130	-	-	53,130
Hard Disk	9,818	-	-	9,818
Laptop	8,23,100	-	-	8,23,100
UPS/Inverter	76,050	2,756	-	78,806
TOTAL	**39,70,003**	**5,39,186**	**1,88,985**	**46,98,174**

For S K Patodia & Associates
Chartered Accountants

For Bihar State Disaster Management Authority

Ajay Kumar Agarwal
Authorized Signatoty
Membership No. :- 426910

Sanwar Bharti
Secretary

Place: Patna
Date: 01-02-2019

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey Road, Patna-1
Bank Reconciliation Statement as on 31-03-2018

Particular	Cheque No	Date	Amount in Rs.	Amount in Rs.
Closing balance as per cash book				**9,37,69,129.00**
Adjustment for the year				
Cheque issued in year 2016-17 but not clear or reversel taken in book				
Dy Commissioner of Commercial Tax	157065	11-01-2017	236.00	
BSNL, Patna	157075	18-01-2017	6,018.00	
Airtel	157077	18-01-2017	676.00	
Dy Commissioner of Commercial Tax, West Circle , Patna	157113	23-02-2017	3,906.00	
Dy Commissioner of Commercial Tax, West Circle , Patna	157112	23-02-2017	7,038.00	
GIS	156621	06-03-2017	540.00	
Cheque issued as yourself as deduction of computer advance	156622	06-03-2017	680.00	
G I F	157120	06-03-2017	43,000.00	
	156623	06-03-2017	6,700.00	
Cheque issued as yourself for motor car advance				
Cheque issued as yourself as deduction of computer advance	156643	07-03-2017	680.00	
	156644	07-03-2017	13,400.00	
Cheque issued as yourself for motor car advance				
Bharat Jyoti	156654	08-03-2017	5,000.00	
Arun Kumar	156656	08-03-2017	245.00	
ABP Pvt Ltd	156652	08-03-2017	7,360.00	
Balance of other than Grant-in-Aid of 2016-17		31-03-2017	41,775.00	**1,37,254.00**
Cheque issued in Financial Year 2017-18 but not presented for payment				
Mangalam Enterprises	380660	04-07-2017	22,640.00	
Food Expenses	380725	01-08-2017	15,500.00	
Expenses on Bihar Diwas	380727	01-08-2017	1,350.00	
Master Trainer for boat Driving	380747	11-08-2017	1,700.00	
Bennet	380842	01-09-2017	1,682.00	
Expenses on Trainee (Organise by NINI)	380913	04-09-2017	1,600.00	
Expenses on Trainee (Organise by NINI)	380915	04-09-2017	1,600.00	
Expenses on Trainee (Organise by NINI)	380916	04-09-2017	1,600.00	
Expenses on Trainee (Organise by NINI)	380917	04-09-2017	1,600.00	
Advertiesment Expenses	380924	05-09-2017	3,604.00	
Trainer for Expenses on Boat Driving	380966	14-09-2017	1,700.00	
Trainer for Expenses on Boat Driving	468801	29-11-2017	1,700.00	
Printing & Stationery	468931	03-01-2018	1,750.00	
Trainers Training Programme	468976	04-01-2018	4,500.00	
Misc Expenses	468984	08-01-2018	2,000.00	
Expenses on reduced of earth quake	469047	19-01-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	469097	31-01-2018	500.00	
Expenses on master trainer	736046	31-01-2018	500.00	
Expenses on master trainer	736054	31-01-2018	500.00	
Expenses on master trainer	736064	31-01-2018	500.00	
Expenses on master trainer	736098	02-02-2018	500.00	
Expenses on master trainer	736107	02-02-2018	500.00	

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey Road, Patna-1
Bank Reconciliation Statement as on 31-03-2018

Particular	Cheque No	Date	Amount in Rs.	Amount in Rs.
Closing balance as per cash book				**9,37,69,129.00**
Adjustment for the year				
Cheque issued in year 2016-17 but not clear or reversel taken in book				
Dy Commissioner of Commercial Tax	157065	11-01-2017	236.00	
BSNL, Patna	157075	18-01-2017	6,018.00	
Airtel	157077	18-01-2017	676.00	
Dy Commissioner of Commercial Tax, West Circle , Patna	157113	23-02-2017	3,906.00	
Dy Commissioner of Commercial Tax, West Circle , Patna	157112	23-02-2017	7,038.00	
GIS	156621	06-03-2017	540.00	
Cheque issued as yourself as deduction of computer advance	156622	06-03-2017	680.00	
G I F	157120	06-03-2017	43,000.00	
	156623	06-03-2017	6,700.00	
Cheque issued as yourself for motor car advance				
Cheque issued as yourself as deduction of computer advance	156643	07-03-2017	680.00	
	156644	07-03-2017	13,400.00	
Cheque issued as yourself for motor car advance				
Bharat Jyoti	156654	08-03-2017	5,000.00	
Arun Kumar	156656	08-03-2017	245.00	
ABP Pvt Ltd	156652	08-03-2017	7,360.00	
Balance of other than Grant-in-Aid of 2016-17		31-03-2017	41,775.00	**1,37,254.00**
Cheque issued in Financial Year 2017-18 but not presented for payment				
Mangalam Enterprises	380660	04-07-2017	22,640.00	
Food Expenses	380725	01-08-2017	15,500.00	
Expenses on Bihar Diwas	380727	01-08-2017	1,350.00	
Master Trainer for boat Driving	380747	11-08-2017	1,700.00	
Bennet	380842	01-09-2017	1,682.00	
Expenses on Trainee (Organise by NINI)	380913	04-09-2017	1,600.00	
Expenses on Trainee (Organise by NINI)	380915	04-09-2017	1,600.00	
Expenses on Trainee (Organise by NINI)	380916	04-09-2017	1,600.00	
Expenses on Trainee (Organise by NINI)	380917	04-09-2017	1,600.00	
Advertiesment Expenses	380924	05-09-2017	3,604.00	
Trainer for Expenses on Boat Driving	380966	14-09-2017	1,700.00	
Trainer for Expenses on Boat Driving	468801	29-11-2017	1,700.00	
Printing & Stationery	468931	03-01-2018	1,750.00	
Trainers Training Programme	468976	04-01-2018	4,500.00	
Misc Expenses	468984	08-01-2018	2,000.00	
Expenses on reduced of earth quake	469047	19-01-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	469097	31-01-2018	500.00	
Expenses on master trainer	736046	31-01-2018	500.00	
Expenses on master trainer	736054	31-01-2018	500.00	
Expenses on master trainer	736064	31-01-2018	500.00	

Expenses on master trainer	736108	02-02-2018	500.00
Expenses on master trainer	736109	02-02-2018	500.00
Expenses on master trainer	736151	02-02-2018	500.00
Expenses on master trainer	736113	02-02-2018	500.00
Expenses on master trainer	736114	02-02-2018	500.00
Expenses on master trainer	736118	02-02-2018	500.00
Expenses on master trainer	736119	02-02-2018	500.00
Expenses on master trainer	736131	02-02-2018	500.00
Expenses on master trainer	736136	02-02-2018	500.00
Expenses on master trainer	736141	02-02-2018	500.00
Honourarium to staff	736167	07-02-2018	5,000.00
Expenses on master trainer	736193	08-02-2018	15,750.00
Freigth Expenses	736238	21-02-2018	8,400.00
Expenses on master trainer	736279	28-02-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736280	28-02-2018	1,000.00
Hotel Surya	736327	07-03-2018	6,065.00
BSTDC	736336	07-03-2018	12,600.00
Expenses on master trainer	736339	08-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736344	08-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736349	08-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736355	08-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736360	08-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736364	08-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736367	08-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736368	08-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736374	08-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736377	08-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736378	08-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736379	08-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736381	08-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736382	08-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736384	08-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736387	08-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736393	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736394	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736395	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736398	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736403	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736406	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736408	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736410	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736412	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736416	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736419	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736420	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736425	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736426	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736428	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736429	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736432	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736433	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736435	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736437	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736441	09-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736446	09-03-2018	1,000.00

Expenses on master trainer	736465	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736468	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736473	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736474	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736475	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736477	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736478	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736479	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736480	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736481	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736483	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736485	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736486	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736488	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736492	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736495	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736496	15-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736501	15-03-2018	1,000.00
BSNL	736517	19-03-2018	920.00
Expenses on master trainer	736521	19-03-2018	16,800.00
Mangalam Enterprises	736525	19-03-2018	8,410.00
Expenses on master trainer	736494	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736530	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736535	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736536	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736537	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736538	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	736540	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393062	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393063	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393064	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393066	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393070	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393071	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393072	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393078	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393079	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393081	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393084	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393085	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393087	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393088	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393090	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393091	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393093	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393094	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393095	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393096	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393097	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393098	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393101	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393103	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393104	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393110	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393111	20-03-2018	1,000.00

Expenses on master trainer	393113	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393116	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393117	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393119	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393120	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393121	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393122	20-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393123	20-03-2018	1,000.00
Telephone & Internet	393135	23-03-2018	1,310.00
Telephone & Internet	393136	23-03-2018	12,143.00
Expenses on master trainer	393146	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393147	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393148	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393149	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393150	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393151	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393152	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393153	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393154	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393155	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393157	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393158	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393159	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	393160	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005221	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005222	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005223	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005224	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005225	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005226	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005227	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005228	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005229	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005230	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005231	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005232	27-03-2018	1,000.00
Expenses on Disaster program	005234	27-03-2018	5,000.00
Expenses on Disaster program	005236	27-03-2018	2,500.00
Expenses on master trainer	005237	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005238	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005240	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005241	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005243	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005244	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005245	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005246	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005247	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005248	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005249	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005250	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005251	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005252	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005254	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005255	27-03-2018	1,000.00
Expenses on master trainer	005256	27-03-2018	1,000.00

Expenses on master trainer	005259	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	005260	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	005261	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	005262	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	005264	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	005267	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	005268	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	005269	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	005270	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	497961	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	497962	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	497963	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	497964	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	497965	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	497966	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	497967	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	497968	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	497969	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	497970	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	497971	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	497972	27-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	497973	27-03-2018	1,000.00	
Fire Security program	497983	29-03-2018	12,000.00	
Fire Security program	497984	29-03-2018	8,000.00	
Disaster program at Madhepura	497991	29-03-2018	8,75,200.00	
Disaster program at Nalanda	497992	29-03-2018	9,00,000.00	
Disaster program at Nalanda	497993	29-03-2018	9,00,000.00	
Disaster program at Nalanda	497994	29-03-2018	6,10,500.00	
Disaster program at Saran	497995	29-03-2018	9,00,000.00	
Disaster program at Saran	497996	29-03-2018	9,00,000.00	
Disaster program at Saran	497997	29-03-2018	9,00,000.00	
Disaster program at Saran	497998	29-03-2018	4,20,300.00	
Disaster program at Saharsa	497999	29-03-2018	7,35,700.00	
Disaster program at Motihari	498000	29-03-2018	9,00,000.00	
Disaster program at Motihari	498001	29-03-2018	9,00,000.00	
Disaster program at Motihari	798002	29-03-2018	1,44,800.00	
Disaster program at Dharbhanga	498003	29-03-2018	9,00,000.00	
Disaster program at Dharbhanga	498004	29-03-2018	9,00,000.00	
Disaster program at Dharbhanga	498005	29-03-2018	9,00,000.00	
Disaster program at Dharbhanga	498006	29-03-2018	4,07,200.00	
Disaster program at Dharbhanga	498007	29-03-2018	9,37,900.00	
Disaster program at Kishanganj	498010	29-03-2018	3,00,000.00	
Disaster program at Seohar	498009	29-03-2018	2,71,150.00	
Disaster program at Supaul	498011	29-03-2018	8,82,300.00	
Disaster program at Patna	498014	29-03-2018	9,00,000.00	
Disaster program at Patna	498015	29-03-2018	9,00,000.00	
Disaster program at Patna	498016	29-03-2018	9,00,000.00	
Disaster program at Patna	498018	29-03-2018	5,35,500.00	
Disaster program at Madhubani	498019	29-03-2018	9,00,000.00	
Disaster program at Madhubani	498020	29-03-2018	9,97,850.00	
Appex System Care	498022	31-03-2018	1,83,500.00	**2,02,55,324.00**
Add:- Reversal by bank but not taken in Cash Book				
Expenses on Training of boat driving	380711	02-08-2018	1,600.00	
Expenses on master trainer	736173	12-02-2018	1,000.00	

Expenses on master trainer	736173	12-02-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	736202	13-02-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	736203	15-02-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	736203	15-02-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	736206	15-02-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	736200	16-02-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	736200	16-02-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	736200	16-02-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	736200	16-02-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	736200	16-02-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	736179	19-02-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	736180	20-02-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	736250	23-02-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	736311	08-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	736275	12-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	736259	12-03-2018	1,000.00	
Expenses on master trainer	736275	12-03-2018	1,000.00	**19,600.00**

Total				**2,04,12,178.00**
Total closing balance after adjustment				**11,41,81,307.00**
Closing balance as per Bank Statement				**11,41,81,307.00**
Difference				**-**

For S K Patodia & Associates
Chartered Accountants

Ajay Kumar Agarwal
Authorized Signatoty
Membership No. :- 426910
Place: Patna
Date: 01-02-2019

For Bihar State Disaster Management Authority

Sanwar Bharti
Secretary

Internal Audit Report For FY 2017-18

NOTES TO ACCOUNTS

1. **Method of accounting**:
   Bihar State Disaster Management Authority is adopting Cash Method of Accounting. The cash basis of accounting recognizes transactions and events only when cash (including cash equivalents) is received or paid by the entity. Financial statements prepared under the cash basis provide readers with information about the sources of cash raised during the period, the purposes for which cash was used and the cash balances at the reporting date.

2. **Depreciation on Fixed Assets:**
   Organization is maintaining its books of account on cash basis of accounting, so depreciation is not charged on fixed assets.

3. **Contingent Liabilities:**
   At the end of financial year 2017-18, contingent liabilities are NIL.

For S K Patodia& Associates
Chartered Accountants

Ajay Kumar Agarwal
Authorized Signatory
Membership No. :- 426910

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना- **800 001, Tel. : +91 (612) 2522032, Fax. : +91 (612) 2532311**

visit us : www.bsdma.org; e-mail : info@bsdma.org

बिहार सरकार

Printed by : Bharat Printing Works, Qty.: 1000, Nov. : 2019